

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 26, गुरुवार, शके 1947- जुलाई 17, 2025 Asadha 26, Thursday, Saka 1947- July 17, 2025	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, मई 21, 2025

संख्या रा.वि.वि. आयोग/सचिव/विनियम-158 :विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का अधिनियम 36वां) की धारा 181 सपठित धारा 39, 40, 42, 61 एवं 86 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (हरित उर्जा खुली पहुंच हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2025

1 लघुशीर्षक, प्रारम्भतथा प्रयुक्ति का विस्तार

- ये विनियम, “राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (हरित उर्जा खुली पहुंच हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2025” कहलायेंगे।
- ये विनियम उस तिथि से लागू होंगे जिसे आयोग अधिसूचित करेगा।
बशर्त कि विभिन्न विनियमों के प्रावधानों के प्रारम्भ के लिये अलग-अलग तिथियां निर्धारित की जा सकेगी।
- ये विनियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये विस्तारित होंगे।
- आयोग के किसी अन्य वर्तमान में प्रवृत्त विनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, ये विनियम, राज्य में अनुज्ञप्ति/धारक/अनुज्ञप्तिधारकों की राज्यान्तर्गत प्रसारण प्रणाली (आईएनएसटीएस) और/या वितरण प्रणाली/प्रणालियों के उपयोग के लिये, कैप्टिव और तृतीय पक्ष दोनों प्रकार के, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत तक खुली पहुंच की

अनुमति देने के लिये लागू होंगे, जिसमें ऐसी राज्यान्तर्गत प्रसारण और/या वितरण प्रणाली/प्रणालियां भी शामिल हैं, जो विद्युत के अन्तर्राज्य प्रसारण के लिये प्रासंगिक हैं।

2. परिभाषायें

(i) इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं है:

(ए) “अधिनियम” का अभिप्राय विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) से हैं;

(बी) “आवेदक” से अभिप्राय उपभोक्ता, व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी से है, जिसने हरित ऊर्जा खुली पहुंच की मांग करते हुये आवेदन किया है;

(सी) “बैंकिंग” से अभिप्राय है ग्रिड में अंतःक्षेपित की गई अधिशेष हरित ऊर्जा और हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ऊर्जा में जमा की गई और इसे अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति के लिए प्रभारों के साथ आहरित किया जायेगा;

(डी) “कैप्टिव उत्पादन संयंत्र” से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा मुख्यतः अपने उपयोग के लिये विद्युत उत्पादन करने हेतु स्थापित किये गये विद्युत संयंत्र से है और इसमें किसी सहकारी समिति या व्यक्तियों के संघ द्वारा मुख्यतः ऐसी सहकारी समिति या संघ के सदस्यों के उपयोग के लिये विद्युत उत्पादन करने हेतु स्थापित किया गया विद्युत संयंत्र शामिल है;

(ई) “केन्द्रीय नोडल एजेन्सी” का अभिप्राय नियमों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एकल खिड़की हरित ऊर्जा खुली पहुंच प्रणाली की स्थापना और संचालन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नोडल एजेन्सी से है;

(एफ) “आयोग” से अभिप्राय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग से है;

(जी) “इकाई” से अभिप्राय निम्नलिखित से है:

- (i) कैप्टिव उपभोक्ताओं के सिवाय, कोई ऐसा उपभोक्ता जिसने वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एक ही विद्युत खंड में स्थित एकल कनेक्शन या बहुकनेक्शनों के माध्यम से सौ (100) किलोवाट या उससे अधिक के अनुबंधित मांग या स्वीकृत भार का अनुबन्ध किया है। तथापि, कैप्टिव उपभोक्ताओं के मामले में कोई ऐसी निम्न भार सीमा नहीं होगी;

(ii) उत्पादक जो हरित ऊर्जा/नवीकरणीय ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा कैप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित) का उत्पादन करता है और खुली पहुंच का उपभोग करने का आशय रखता है;

(एच) “विद्यमान उपभोक्ता/उत्पादक” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो इन विनियमों के लागू होने की तिथि पर किसी विद्यमान अनुबन्ध या राजस्थान सरकार की नीति के अधीन राज्य में किसी अनुज्ञप्तिधारी की प्रसारण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति/स्रोतीकरण के लिये पहले से ही खुली पहुंच का उपभोग कर रहा है;

(आई) “हरित ऊर्जा/नवीकरणीय ऊर्जा” से अभिप्राय पवन, सौर, जल, पंप भंडारण हाइड्रो उत्पादन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और भंडारण (यदि भंडारण में केवल नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करता है), नगरपालिका ठोस अपशिष्ट-से-ऊर्जा आधारित उत्पादन, बायोमॉस और बगास आधारित सह-उत्पादन संयंत्र या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित, सहित किसी अन्य प्रौद्योगिकी सहित ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत ऊर्जा से है और हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उत्पादन सहित जीवाश्म ईंधनों को प्रतिस्थापित करने के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करने वाला कोई तंत्र भी सम्मिलित होगा;

(जे) “हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया” से अभिप्राय नवीकरणीय ऊर्जा (या उससे बैंक की गयी ऊर्जा) का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन/अमोनिया से है, इसमें बैंक की गयी नवीकरणीय ऊर्जा और बायोमॉस से उत्पादित हाइड्रोजन/अमोनिया शामिल हैं।

बशर्ते कि हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया का निर्माण विकासक द्वारा सह-स्थित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र से किया जा सकता है या दूरस्थ स्थित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त की गयी नवीकरणीय ऊर्जा का उपभोग किया जा सकता है, चाहे वह उसी विकासक द्वारा या किसी तृतीय पक्ष द्वारा स्थापित किये गये हो, या पावर एक्सचेंज से क्रय की गयी नवीकरणीय ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया का निर्माण किया जा सकता है;

(के) “हरित ऊर्जा खुली पहुँच उपभोक्ता” से अभिप्राय ऐसे किसी व्यक्ति से है, जिसकी अनुबंध मांग या स्वीकृत भार किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एक ही विद्युत खण्ड में स्थित एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या उससे अधिक है, या

एकाधिक कनेक्शनों के माध्यम से कुल मिलाकर एक सौ (100) किलोवाट या उससे अधिक है, (कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिये ऐसी कोई निम्न भार सीमा नहीं होगी) या ऐसी अन्य सीमा जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है, और जिसे अनुज्ञप्तिधारी या सरकार द्वारा या अपने स्वयं के कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से या विद्युत अधिनियम, 2003 या किसी अन्य कानून के अधीन कैप्टिव सहित जनता को विद्युत की आपूर्ति के व्यवसाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिये हरित ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति की जाती है, वह खुली पहुंच के माध्यम से हरित ऊर्जा लेने के लिये पात्र होगा और इसमें ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है जिसका परिसर हरित ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये, यथास्थिति, किसी अनुज्ञप्तिधारी के कार्यों, सरकार या ऐसे व्यक्ति से संबद्ध है;

(एल) “बाध्य इकाई” से अभिप्राय नवीकरणीय क्रय बाध्यता की पूर्तिके लिए अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ई) के अधीन अधिदेशित इकाईयों से हैं, जिनमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कैप्टिव उपभोक्ता/उपयोगकर्ता और खुली पहुंच उपभोक्ता सम्मिलित हैं;

(एम) “खुली पहुंच” से अभिप्राय किसी अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता या विद्युत उत्पादन में लगे किसी व्यक्ति द्वारा समुचित आयोग द्वारा निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार प्रसारण लाइनों या वितरण प्रणाली या ऐसी लाइनों या प्रणाली के साथ संबद्ध सुविधाओं के उपयोग के लिये अभेदपूर्वक प्रावधान से है;

(एन) “व्यक्ति” में कोई भी कंपनी या निगमित निकाय या संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति शामिल होगा;

(ओ) “नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना” से अभिप्राय उस नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से है, जहां एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पादन की नामित क्षमता अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (स्रोतों) से उत्पादन की नामित क्षमता का कम से कम 25 प्रतिशत हो, जिसका ग्रिड में अंतःक्षेपण एकल बिंदु या अधिकतम दो बिंदुओं पर होता हो;

(पी) “नियम” से अभिप्राय विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन बनाये गये नियम जिनमें विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) नियम, 2022 और पश्चातवर्ती संशोधन शामिल हैं;

- (क्यू) “एसएलडीसी/राभाप्रेके” से अभिप्राय अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य भार प्रेषण केंद्र से है;
- (आर) “राज्य प्रसारण यूटिलिटी (एसटीयू)” से अभिप्राय बोर्ड या सरकारी कंपनी से है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में निदिष्ट किया गया हो;
- (एस) “स्टैंडबाय प्रभार” से अभिप्राय उस प्रभार से है जो हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ता से लिया जायेगा, जब वे अपने उत्पादन स्रोतों, जिनके साथ उनका समझौता है, से जनरेटर, संचरण प्रणाली आदि के व्यवधान के कारण विद्युत प्राप्त या अनुसूचित नहीं कर पाते हैं
- (टी) “व्हीलिंग” से अभिप्राय उस परिचालन से है जिसके अंतर्गत किसी प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली और संबद्ध सुविधाओं का उपयोग, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 62 के अधीन निर्धारित प्रभार के भुगतान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत के परिवहन के लिये किया जाता है;
- (ii) इन विनियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें अधिनियम या भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) या भारत सरकार द्वारा विहित नियमों या राज्य ग्रिड कोड या राज्य विद्युत आपूर्ति कोड में परिभाषित किया गया है, तो उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या आईईजीसी या नियमों या राज्य ग्रिड कोड या राज्य विद्युत आपूर्ति कोड या आयोग द्वारा अधिसूचित किसी अन्य विनियमों के अधीन, जो भी लागू हो, उनके लिये नियत किया गया है।

3. हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए) की अनुमति देने के लिये मानदंड

- i. राज्य ग्रिड कोड और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा तैयार की गयी वितरण योजना में निर्धारित प्रसारण योजना मानदंडों और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दीर्घावधि जीईओए की अनुमति दी जायेगी।
बशर्ते कि यदि एसटीयू/डिस्कॉम द्वारा किये गये सिस्टम अध्ययन के अनुसार स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता वृद्धि के कारण विद्यमान प्रसारण/वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता हो, तो प्रणाली सुदृढ़ीकरण पर होने वाला व्यय संबंधित इकाई द्वारा वहन किया जायेगा।

- ii. अल्पकालिक/मध्यावधि की खुली पहुंच की अनुमति दी जायेगी यदि अनुरोध को निम्नलिखित के उपयोग द्वारा समायोजित किया जा सकता है:

क. अंतर्निहित डिजाइन मार्जिन

ख. विद्युत प्रवाह में भिन्नता के कारण उपलब्ध मार्जिन और

ग. भविष्य में भार वृद्धि को पूरा करने के लिये सृजित अतिरिक्त प्रसारण प्रणाली क्षमता और/या वितरण प्रणाली क्षमता के कारण उपलब्ध मार्जिन,

बशर्ते कि कोई भी उपभोक्ता उपभोग के एक निश्चित प्रतिशत या अपने संपूर्ण उपभोग तक हरित ऊर्जा खरीदने का विकल्प चुन सकेगा और वह इसके लिए अपने वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष मांगपत्र प्रस्तुत कर सकेंगे, जो हरित ऊर्जा की ऐसी मात्रा क्रय करेगा और इसकी आपूर्ति करेगा और उपभोक्ता के पास सौर एवं गैर-सौर हरित ऊर्जा के लिए अलग-अलग मांगपत्र देने की सुविधा होगी।

बशर्ते यह भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी से हरित ऊर्जा के लिए कोई मांगपत्र न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

बशर्ते यह भी कि हरित ऊर्जा की मात्रा कम से कम एक वर्ष के लिए पूर्व-निर्दिष्ट की जायेगी।

बशर्ते यह भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बाध्य इकाई के नवीकरणीय क्रय दायित्व से अधिक क्रय की गयी हरित ऊर्जा और जो कि ऐसी इकाई द्वारा किसी अन्य तरीके से उपयोग नहीं की गई हो, की गणना वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नवीकरणीय क्रय दायित्व के प्रति की जायेगी।

बशर्ते यह भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी स्तर पर आपूर्ति की गयी नवीकरणीय ऊर्जा का लेखांकन मासिक आधार पर किया जायेगा।

4. हरित ऊर्जा खुली पहुंच का वर्गीकरण:

हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं को राज्यान्तर्गत प्रसारण और/या वितरण प्रणाली के उपयोग की अवधि के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा:

- i. “दीर्घावधि हरित ऊर्जा खुली पहुंच” का अभिप्राय राज्यान्तर्गत प्रसारण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली को 12 वर्ष से अधिक परंतु 25 वर्ष या इससे कम अवधि के लिये उपयोग करने का अधिकार, से है।

- ii. “मध्यम अवधि हरित ऊर्जा खुली पहुंच” का अभिप्राय है राज्यान्तर्गत प्रसारण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली को तीन माह से अधिक परंतु तीन वर्ष या इससे कम अवधि के लिये उपयोग करने का अधिकार, से है।
- iii. “अल्पावधि हरित ऊर्जा खुली पहुंच” का अभिप्राय एक बार में एक महीने तक की अवधि के लिये खुली पहुंच से है।

बशर्ते कि स्वीकृत अल्पावधि हरित खुली पहुंच की समाप्ति पर, यदि ऐसा उपभोक्ता आगे की अवधि के लिये अल्पावधि हरित ऊर्जा खुली पहुंच का उपभोग करना चाहता है, तो उसे ऐसी अवधि के लिये आवेदन प्रस्तुत करना होगा और ऐसे आवेदन को नये आवेदन के रूप में विचारित किया जायेगा और इसकी प्राथमिकता आवेदन देने की तिथि के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

बशर्ते यह भी कि दीर्घावधि, मध्यम अवधि और अल्पावधि हरित ऊर्जा खुली पहुंच की अवधि को आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक आदेश के माध्यम से उचित रूप से संशोधित किया जा सकेगा।

5. जीईओए आवेदन के लिये पात्रता मानदंड

- i. इन विनियमों के प्रावधानों और प्रणाली की उपलब्धता के अधीन, उपभोक्ता राज्य प्रसारण उपयोगिता या किसी प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों की राज्यान्तर्गत प्रसारण प्रणाली और राज्य के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों की वितरण प्रणाली/प्रणालियों के लिये खुली पहुंच के लिये पात्र होंगे।

बशर्ते कि इन विनियमों में किसी बात के होते हुये भी, कोई भी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी, जिसका वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ मौजूदा विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) है, वह उस नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिये खुली पहुंच के लिये पात्र नहीं होगी जिसके लिये विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) किया गया है, बशर्ते कि ऐसे विद्युत क्रय समझौता की शर्तों के अनुसार और उस क्षमता (विद्युत मात्रा) के लिये जिसके लिये पहले से ही खुली पहुंच स्वीकृत है।

बशर्ते यह भी कि ऐसी खुली पहुंच ऐसे प्रभारों के भुगतान पर उपलब्ध होगी, जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेगे।

बशर्ते यह भी कि ऐसी इकाईयां जो दिवालिया या शोध-अक्षम घोषित हो चुकी हों या वितरण/प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी के 2 माह से अधिक समय तक बिल उन पर बकाया हो या

आवेदन के समय जिनके विरुद्ध विद्युत के अनधिकृत उपयोग/चोरी का मामला लम्बित हो, वे खुली पहुंच के लिये पात्र नहीं होंगी।

- ii. प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण किया है, को अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के साथ पठित अधिनियम के अधीन आवृत्त नियमों और विनियमों तथा समय-समय पर विषय-वस्तु पर आयोग के आदेशों के अनुसार खुली पहुंच का अधिकार होगा।

बशर्ते कि वे उपभोक्ता जिनकी अनुबंधित मांग या स्वीकृत भार किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एक ही विद्युत खंड में स्थित एकल कनेक्शन या एकाधिक कनेक्शनों के माध्यम से सौ (100) किलोवाट या उससे अधिक है, हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से विद्युत लेने के पात्र होंगे।

बशर्ते यह भी कि हरित ऊर्जा खुली पहुंच के अंतर्गत विकल्प करने वाले उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा के कैप्टिव उपयोग के लिये अनुबंधित भार या स्वीकृत भार के संबंध में ऐसी कोई निम्न सीमा नहीं होगी। तथापि, यह आयोग द्वारा यथा निर्धारित निबन्धनों और शर्तों पर और प्रभारों के भुगतान पर होगा।

बशर्ते यह भी कि एसटीयू नेटवर्क पर नयी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर) जिनकी स्थापित क्षमता 5 मेगावाट से अधिक है या जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो, को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के न्यूनतम 5 प्रतिशत के लिये ईएसएस (कम से कम 2 घंटे का भंडारण) स्थापित करना अनिवार्य होगा।

बशर्ते यह भी कि मीटर के पीछे स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संयंत्र सहित व्यक्तिगत नये नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र की अधिकतम स्वीकार्य क्षमता अनुबंध मांग के 200 प्रतिशत तक की अनुमति दी जायेगी।

बशर्ते यह भी कि वे नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र, जिनकी क्षमता 100 प्रतिशत अनुबंध मांग से अधिक और 200 प्रतिशत अनुबंध मांग तक है उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा कैप्टिव संयंत्र क्षमता अर्थात् अनुबंध मांग के 100% से अधिक क्षमता के लिये उन्हें उत्पादित ऊर्जा के न्यूनतम 20 प्रतिशत के लिये बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) स्थापित करना आवश्यक होगा। संग्रहित की जाने वाली ऊर्जा के इस प्रतिशत की आयोग द्वारा समय-समय पर पृथक आदेश के माध्यम से समीक्षा की जायेगी। ऐसी भंडारण

क्षमता का संचालन पृथक आदेश के माध्यम से राभाप्रेके/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा निर्देशित अनुसार होगा।

बशर्ते यह भी कि संबद्ध हरित हाइड्रोजन/अमोनिया संयंत्र के लिये पवन/सौर/हाइब्रिड संयंत्र (भंडारण सुविधा के साथ या उसके बिना) की अधिकतम विद्युत उत्पादन क्षमता राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुमति दी जायेगी।

बशर्ते यह भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूरी की जाने वाली मांग में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से बचने के लिये हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ता 12 समय ब्लॉकों के भीतर खुली पहुंच के माध्यम से उपभोग की गयी विद्युत की मात्रा में परिवर्तन नहीं करेगा।

6. नोडल एजेंसी

- i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच से संबंधित सभी आवेदन केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा स्थापित पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किये जायेंगे। केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा आवेदनों को राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) को भेजा जायेगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय नोडल एजेंसीएसएनए के माध्यम से प्राप्त हुए आवेदन को एसटीयू द्वारा तैयार की गयी प्रक्रिया एवं प्रारूप के अनुसार प्रक्रियागत किया जायेगा।

बशर्ते यह भी कि ऐसे आवेदन का निपटारा केन्द्रीय नोडल एजेंसी से प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा।

- ii. राजस्थान राज्य प्रसारण यूटिलिटी (एसटीयू) दीर्घावधि और मध्यम अवधि की हरित ऊर्जा खुली पहुंच के लिये यथा राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) कार्य करेगी और राजस्थान राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके) अल्पावधि हरित ऊर्जा खुली पहुंच के लिये यथा राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) कार्य करेगा।

- iii. एसटीयू इन विनियमों की अधिसूचना से 30 दिनों के भीतर आयोग के अनुमोदन के लिये विस्तृत प्रक्रियाएं (जीईओए प्रदान करने के लिये आवश्यक प्रारूपों के साथ) प्रस्तुत करेगी, जिनमें, परन्तु इस तक सीमित नहीं, समय सीमा, बैंक गारंटी, प्रभार, अस्वीकृति, ऊर्जा लेखांकन और निपटान और अन्य प्रासंगिक मामले शामिल होंगे, जो हरित ऊर्जा खुली पहुंच के सुचारु संचालन के लिये आवश्यक हैं।

- iv. एसएनए, एसटीयू सहित प्रसारण अनुज्ञप्तिधारियों और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ समन्वय कर हरित ऊर्जा से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना केंद्रीय नोडल एजेंसी के पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवायेगा।

7. विद्यमान उपभोक्ताओं के लिये संव्यवहार :

विद्यमान उपभोक्ता/उत्पादक अपने विद्यमान समझौतों या सरकारी नीति के अनुसार उन समझौतों या नीतियों में निर्दिष्ट अवधि के लिये खुली पहुंच के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा का उपभोग करना जारी रख सकेंगे।

बशर्ते कि विद्यमान उपभोक्ता/उत्पादक अपने-अपने समझौतों में यथा निर्दिष्ट या आयोग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित लागू प्रभारों का भुगतान करना जारी रखेंगे।

बशर्ते यह भी कि ऐसे उपभोक्ता (उपभोक्ताओं)/उत्पादक (उत्पादकों) के संबंध में उनके संबंधित समझौतों की पश्चातवर्ती अवधि के लिये हरित ऊर्जा खुली पहुंच इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

बशर्ते यह भी कि यदि ऐसे विद्यमान उपभोक्ता (उपभोक्ताओं)/उत्पादक (उत्पादकों) द्वारा पहले से खुली पहुंच के अंतर्गत पहले से अनुबंधित क्षमता के अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिये खुली पहुंच की मांग की जाती है, तो मांगी गयी अतिरिक्त क्षमता की सीमा तक हरित ऊर्जा खुली पहुंच के लिये इसे यथा नये आवेदन के रूप में माना जायेगा।

बशर्ते यह भी कि विद्यमान उपभोक्ता/उत्पादक अपने विद्यमान नवीकरणीय ऊर्जा आधारित खुली पहुंच समझौतों को, एक बार के आधार पर, अपने विद्यमान समझौतों की शेष वैधता के लिये हरित ऊर्जा खुली पहुंच के अधीन परिवर्तित करने के पात्र होंगे और यह इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।

8. आवंटन प्राथमिकता

- i. वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।
- ii. जीईओए उपभोक्ताओं को उस संबंधित खुली पहुंच श्रेणी के अंतर्गत सामान्य खुली पहुंच उपभोक्ताओं पर वरीयता दी जायेगी।
- iii. जीईओए उपभोक्ताओं में, किसी भी विशिष्ट समय अतिरिक्त प्रसारण/वितरण प्रणाली क्षमता मार्जिन की उपलब्धता के अधीन, दीर्घावधि जीईओए उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जायेगी, उसके पश्चात् मध्यम अवधि और तत्पश्चात् अल्पावधि उपभोक्ताओं को वरीयता दी जायेगी।

बशर्ते कि हरित ऊर्जा खुली पहुंच की अनुमति देने का निर्णय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

9. खुली पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा खुली पहुंच सेवा का अनुपयोग

- i. अल्पावधि खुली पहुंच वाले उपभोक्ता द्वारा उसे आवंटित क्षमता का पूर्ण या पर्याप्त भाग चार घंटे से अधिक समय तक उपयोग करने में असमर्थता की स्थिति में, ऐसा अल्पावधि खुली पहुंच उपभोक्ता संबंधित राभाप्रेके को क्षमता का उपयोग करने में अपनी असमर्थता के बारे में कारण सहित सूचित करेगा तथा उसे आवंटित क्षमता के उपयोग का समर्पण कर सकेगा। तथापि, ऐसे अल्पावधि उपभोक्ता को मूल आरक्षित क्षमता और जिस अवधि के लिये ऐसी क्षमता आरक्षित की गयी थी, उसके आधार पर पूर्ण प्रसारण और/या व्हीलिंग प्रभागों को वहन करना होगा।
- ii. मध्यम अवधि/दीर्घावधि उपभोक्ता राज्य नोडल एजेंसी की पूर्व स्वीकृति के बिना खुली पहुंच समझौते में निर्दिष्ट अपने अधिकारों और दायित्वों का त्याग या हस्तांतरण नहीं करेगा।
- iii. जब ऐसा अल्पावधि खुली पहुंच उपभोक्ता, आवंटित क्षमता का एक माह में 4 से अधिक बार, प्रत्येक बार 4 घंटे की अवधि से अधिक उपयोग नहीं करता है या वह आवंटित क्षमता का उपयोग करने में अपनी असमर्थता के बारे में वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करने में विफल रहता है, ऐसे में राज्य नोडल एजेंसी किसी अल्पावधि खुली पहुंच उपभोक्ता को आवंटित क्षमता को उस सीमा तक निरस्त या कम कर सकेगी, जहां तक उसका कम उपयोग हुआ हो। ऐसा निरस्तीकरण विधिवत नोटिस देने के पश्चात् ही किया जायेगा।
- iv. उपर्युक्त खंड (i) के अंतर्गत अल्पावधि खुली पहुंच उपभोक्ता द्वारा इसके समर्पण या उपर्युक्त खंड (iii) के अंतर्गत राभाप्रेक द्वारा क्षमता में कमी या निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप उपलब्ध अधिशेष क्षमता को अंतःक्षेपण और आहरण बिंदु के आधार पर लंबित आवेदनों के क्रम में किसी अन्य अल्पावधि खुली पहुंच उपभोक्ता को आवंटित किया जा सकेगा।
- v. दीर्घावधि/मध्यम अवधि द्वारा ऐसे अधिकारों और दायित्वों का त्याग या हस्तांतरण मुआवजे/प्रतिकर के भुगतान के अधीन होगा, जैसा कि नीचे प्रावधान किया गया है:
 - (1) दीर्घावधि हरित ऊर्जा खुली पहुंच इकाई जिसने कम से कम 12 वर्षों के लिये खुली पहुंच अधिकारों का उपभोग किया है, वह निम्नलिखित तरीके से ग्रसित क्षमता के लिये मुआवजे/प्रतिकर का भुगतान करके दीर्घावधि खुली पहुंच की पूर्ण अवधि की समाप्ति से पहले दीर्घावधि खुली पहुंच अधिकारों को पूर्णतः या अंशतः त्याग सकती है:

- (क) यदि कोई दीर्घावधि हरित ऊर्जा खुली पहुंच इकाई, खुली पहुंच अधिकारों को त्यागने की इच्छा की तिथि से कम से कम 1 (एक) वर्ष पहले नोडल एजेंसी को आवेदन प्रस्तुत करती है, तो वह कोई प्रभार देने के लिये उत्तरदायी नहीं होगी।
- (ख) यदि कोई दीर्घावधि हरित ऊर्जा खुली पहुंच इकाई, खुली पहुंच अधिकारों को त्यागने की इच्छा की तिथि से 1 (एक) वर्ष से कम समय पहले किसी भी समय नोडल एजेंसी को आवेदन प्रस्तुत करती है, तो ऐसे ग्राहक को एक (1) वर्ष की नोटिस अवधि से कम रही अवधि के लिये ग्रसित प्रसारण और/या वितरण क्षमता के लिये, खुली पहुंच अधिकार के त्याग के लिये आवेदन करने की तिथि को लागू प्रसारण और व्हीलिंग प्रभारों के 66 प्रतिशत के समतुल्य राशि का भुगतान करना होगा।
- (2) दीर्घावधि हरित ऊर्जा खुली पहुंच इकाई, जिसने कम से कम 12 (बारह) वर्षों तक खुली पहुंच अधिकारों का उपभोग नहीं किया है, तो उसे खुली पहुंच अधिकार की 12 (बारह) वर्ष की नोटिस अवधि से कम रही अवधि अधिकतम तीन वर्ष की अवधिके लिये ग्रसित प्रसारण और/या वितरण क्षमता के लिये, खुले पहुंच अधिकार के त्याग के लिये आवेदन करने की तिथि को लागू प्रसारण और व्हीलिंग प्रभारों के 66 प्रतिशत के समतुल्य राशि का भुगतान करना होगा।
- बशर्ते कि ऐसी खुली पहुंच इकाई को नोडल एजेंसी को खुली पहुंच अधिकारों को त्यागने की इच्छा की तिथि से कम से कम 1 (एक) वर्ष पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- बशर्ते यह भी कि यदि ऐसी खुली पहुंच वाली इकाई किसी भी समय एक वर्ष से कम की नोटिस अवधि पर दीर्घावधि खुली पहुंच अधिकारों के त्याग के लिये आवेदन प्रस्तुत करती है, तो ऐसी खुली पहुंच इकाई को एक (1) वर्ष की नोटिस अवधि से कम रही अवधि के लिये खुली पहुंच अधिकार के त्याग के लिये आवेदन की तिथि को लागू प्रसारण और व्हीलिंग प्रभारों के 66 प्रतिशत के समतुल्य राशि का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त खुली पहुंच के अधिकार की 12 (बारह) वर्ष की नोटिस अवधि से कम रही अवधि अधिकतम तीन वर्ष की अवधिके लिये ग्रसित प्रसारण और/या वितरण क्षमता के लिये, खुले पहुंच अधिकार के त्याग के लिये आवेदन की

तिथि को लागू प्रसारण और वहीलिंग प्रभारों के 66 प्रतिशत के समतुल्य राशि का भुगतान करना होगा।

- (3) मध्यम अवधि की हरित ऊर्जा खुली पहुंच इकाई नोडल एजेंसी को कम से कम 30 दिन पूर्व सूचना देकर खुली पहुंच के अधिकारों को पूर्णतः या अंशतः त्याग सकती है और ऐसी मध्यम अवधि खुली पहुंच इकाई त्याग की अवधि या 30 दिन, जो भी कम हो, के लिये लागू प्रसारण और वहीलिंग प्रभारों का भुगतान करेगी।
- (4) वितरण/प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी ऐसे खुली पहुंच ग्राहक, जिसने खुली पहुंच प्राप्त करने के लिये अपनी लागत पर प्रणाली का सृजन किया है, को यह विचार किये बिना कि वह खुली पहुंच का उपभोग पूर्ण अवधि के लिये या आंशिक रूप से करता है, कोई धन वापसी नहीं की जायेगी।

10. ऊर्जा लेखांकन:

i. अंतर-राज्यीय संव्यवहार :

अंतर-राज्यीय संव्यवहार के अंतर्गत किये गये हरित ऊर्जा खुली पहुंच के मामले में, ऊर्जा लेखांकन केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के अनुसार होगा।

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, यदि उत्पादक राजस्थान राज्य में स्थित है और राज्य ग्रिड से संबद्ध है तथा राज्य के बाहर विद्युत विक्रय कर रहा है तो विचलन व्यवस्थापन के लिये ऊर्जा लेखांकन किया जायेगा, जिसमें विचलन प्रभार या तो (क) अनुबंध दर या (ख) विचलन के लिये प्रभारों की सामान्य दर, जो भी अधिक हो, होगा।

स्पष्टीकरण: विचलन के लिये अनुबंध दर और प्रभारों की सामान्य दर का अर्थ समय-समय पर केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों में यथा परिभाषित होगा।

ii. राज्यान्तर्गत संव्यवहार:

दीर्घावधि पहुंच/मध्यम अवधि खुली पहुंच/अल्पावधि खुली पहुंच:

उत्पादक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सौर और पवन उत्पादन स्रोतों के पूर्वानुमान, शिड्यूलिंग, विचलन, व्यवस्थापन और संबद्ध मामले) विनियम, 2017 के अनुसार विचलन प्रभार देय होगा।

बशर्ते कि सौर, पवन और पवन-सौर हाइब्रिड उत्पादक के अतिरिक्त हरित ऊर्जा उत्पादक (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक), जिन्हें समय-समय पर आयोग द्वारा पारित संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ आदेशों के अधीन प्रारम्भ किया गया था और संचालन में है, आयोग के प्रासंगिक आदेशों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

बशर्ते यह भी कि ऊर्जा निपटान के लिये तंत्र आयोग द्वारा अनुमोदित की जाने वाली प्रक्रिया में उपलब्ध कराया जायेगा।

11. हरित ऊर्जा खुली पहुंच के लिये प्रभार:

हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा देय प्रभार निम्नानुसार होंगे:

- i. प्रसारण प्रभार
- ii. व्हीलिंग प्रभार
- iii. क्रॉस सब्सिडी अधिभार
- iv. अतिरिक्त अधिभार
- v. बैंकिंग प्रभार
- vi. स्टेण्डबाय प्रभार, जहाँ भी लागू हो
- vii. प्रतिघाती ऊर्जा प्रभार
- viii. अन्य शुल्क और प्रभार जैसे राभाप्रेके प्रभार और शिडयूलिंग प्रभार, विचलन निपटान (डीएसएम) प्रभार आयोग के प्रासंगिक विनियमों या आदेशों के अनुसार होंगे।
- ix. आयोग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित किये जाने वाले अन्य प्रभार।

11.1 प्रसारण प्रभार

प्रसारण प्रणाली का उपयोग करने वाले हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ता नीचे दिये गये अनुसार प्रभारों का भुगतान करेगा:

11.1.1 अंतर-राज्यीय प्रसारण प्रणाली के उपयोग के लिये:

समय-समय पर केंद्रीय आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट।

11.1.2 राज्यान्तर्गत प्रसारण प्रणाली के उपयोग के लिये:

दीर्घावधि, मध्यम अवधि और अल्पावधि खुली पहुंच के लिये प्रसारण प्रभारों का निर्धारण आयोग द्वारा समय-समय पर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ विनियमों के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। हरित ऊर्जा

खुली पहुंच उपभोक्ता द्वारा देय प्रसारण प्रभार की लागू दर आयोग द्वारा अपने टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट की जायेगी तो 'राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2020 के प्रावधानों के अधीन होगी।

11.2 व्हीलिंग प्रभार

हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसकीप्रणाली के उपयोग के लिये देय व्हीलिंग प्रभार आयोग द्वारा समय-समय परटैरिफ आदेश में निर्धारित किया जायेगा, जो 'राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2020 समय-समय परके प्रावधानों के अधीन यथा निर्धारित होंगे।

11.3 ईएचवी और वितरण नेटवर्क दोनों के उपयोग के लिये, दोनों प्रसारण और व्हीलिंग प्रभार के साथ-साथ लागू होने वाली हानियां भी देय होंगी।

बशर्ते कि सह-स्थित पवन-सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्रों के लिये प्रसारण और व्हीलिंग प्रभार निम्नानुसार उद्ग्रहित किये जायेगे:

क. विद्यमान और नये हाइब्रिड विद्युत संयंत्रों के लिये, प्रसारण प्रभार अनुबंधित प्रसारण क्षमता पर उद्ग्रहित किये जायेगे।

बशर्ते यह भी कि गैर-सह-स्थित (अंतःक्षेपण के दो अलग-अलग बिंदू होने पर) परियोजनाओं के लिये, सौर और पवन परियोजनाओं के लिये प्रभारों का भुगतान क्रमशः सौर और पवन परियोजनाओं की अनुबंधित प्रसारण क्षमता के अनुरूप अलग-अलग किया जायेगा।

बशर्ते यह भी कि पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाओं के मामले में उत्पादन अनुबंधित क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए। उपरोक्त के बावजूद, राभाप्रेके ग्रिड परिचालन की सुरक्षा/विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त अंतःक्षेपण में कटौती कर सकता है। उपरोक्त सीमा से अधिक मात्रा में अंतःक्षेपित ऊर्जा असावधानी पूर्वक अंतःक्षेपित ऊर्जा मानी जायेगी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा न तो उसका भुगतान किया जायेगा और न ही उसका निपटान किया जायेगा।

बशर्ते यह भी कि निम्नलिखित के लिये 2000 मेगावाट क्षमता या 2030 तक स्थापित क्षमता, जो भी पहले हो, के लिये व्यस्ततम घंटों या गैर-सौर घंटों के दौरान बीईएसएस से विद्युत की आपूर्ति पर प्रसारण और व्हीलिंग प्रभार से छूट दी जायेगी:

- (i) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 5 प्रतिशत क्षमता वाली नवीकरणीय ऊर्जा एकीकृत भंडारण परियोजना सात (7) वर्षों की अवधि के लिये प्रसारण और व्हीलिंग प्रभार पर 75 प्रतिशत की छूट के लिये पात्र होगी। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 5 प्रतिशत से अधिक बीईएसएस के लिये भंडारण प्रणाली की प्रत्येक 1 प्रतिशत क्षमता बढ़ाने पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत प्रसारण और व्हीलिंग प्रभार 30 प्रतिशत क्षमता तक की अतिरिक्त छूट के लिये पात्र होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 30 प्रतिशत से अधिक बीईएसएस के लिये, 100 प्रतिशत प्रसारण और व्हीलिंग प्रभार की छूट दी जायेगी।
- (ii) एकल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) को सात (7) वर्षों की अवधि के लिये व्यस्ततम घंटों या गैर-सौर घंटों के दौरान बीईएसएस से विद्युत की आपूर्ति पर 100 प्रतिशत प्रसारण और व्हीलिंग प्रभार की छूट दी जायेगी।
- (iii) 11 केवी या 33 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों से संबद्ध बीईएसएस को 100 प्रतिशत प्रसारण और व्हीलिंग प्रभार की छूट दी जायेगी।

बशर्ते कि 2030 तक स्थापित किये जाने वाले हरित हाइड्रोजन/अमोनिया संयंत्रों के लिये स्थापित किये जाने वाले सौर/पवन संयंत्रों (भंडारण सहित/बिना) से उत्पादित विद्युत के लिये राज्यान्तर्गत प्रसारण और व्हीलिंग प्रभार में 50 प्रतिशत का अधित्याग लागू होगा। प्रसारण और व्हीलिंग हानियाँ आयोग द्वारा जैसा निर्धारित किया जाये, लागू होंगी।

11.4 क्रॉस सब्सिडी अधिभार

क. उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गयी हरित ऊर्जा खुली पहुंच सुविधा के लिये, उसे प्रसारण और/या व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त, जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक टैरिफ आदेश में प्रावधान किया गया है, के अनुसार क्रॉस सब्सिडी अधिभार का भुगतान करना होगा। खुली पहुंच ग्राहकों द्वारा, आयोग द्वारा प्रति यूनिट के आधार पर निर्धारित क्रॉस सब्सिडी अधिभार, खुली पहुंच के माध्यम से व्हीलिंग अवधि के दौरान उपभोग की गयी वास्तविक ऊर्जा के आधार पर, बिलिंग चक्र के आधार पर,

देय होगा। अधिभार की राशि उस वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देय होगी जिसके आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ता स्थित है।

बशर्ते कि ऐसा क्रॉस-सब्सिडी अधिभार उस स्थिति में उद्ग्रहित नहीं किया जायेगा जब हरित ऊर्जा खुली पहुंच ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध करायी जाती है जिसने अपने स्वयं के उपयोग के लिये विद्युत ले जाने के लिये कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

बशर्ते यह भी कि आयोग, हरित ऊर्जा(नवीकरणीय ऊर्जा) स्रोतों का उपयोग करने वाले उत्पादन संयंत्र से, हरित ऊर्जा क्रय करने वाले हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ता के लिए क्रॉस-सब्सिडी अधिभार में, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले उत्पादन संयंत्र के प्रचालनीकरण की तिथि से बारह वर्षों के दौरान खुली पहुंच प्रदान करने के वर्ष के लिए नियत अधिभार के पचास प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं करेगा।

बशर्ते यह भी कि यदि गैर-जीवाश्म इंधन आधारित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित विद्युत हरित खुली पहुंच उपभोक्ता को आपूर्ति की जाती है तो क्रॉस-सब्सिडी अधिभार लागू नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि यदि पवन/सौर ऊर्जा संयंत्र (भंडारण सुविधाओं सहित या रहित) से हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से प्राप्त हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो क्रॉस सब्सिडी अधिभार लागू नहीं होगा।

ख. क्रॉस-सब्सिडी अधिभार औसत आपूर्ति की लागत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ग. किसी उपभोक्ता द्वारा सदेय क्रॉस सब्सिडी अधिभार ऐसा होगा जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति के क्षेत्र में क्रॉस सब्सिडी के वर्तमान स्तर की पूर्ति करे।

11.5 अतिरिक्त अधिभार

हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ता पर उपभोगित हरित ऊर्जा खुली पहुंच की मात्रा के लिये अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा यदि ऐसे हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्तिधारी के साथ अनुबंधित मांग/स्वीकृत भार तक उपभोगित हरित ऊर्जा खुली पहुंच की मात्रा के लिये स्थायी प्रभारों का भुगतान किया जा रहा है।

बशर्ते कि अतिरिक्त अधिभार तब तक उद्ग्रहणीय रहेगा जब तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपगत निर्धारित लागत और स्थायी प्रभार की वसूली में अंतर रहेगा। तथापि, अतिरिक्त अधिभार संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय की प्रति यूनिट स्थायी लागत से अधिक नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि यदि हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ता द्वारा उपभोगित हरित ऊर्जा खुली पहुंच की मात्रा अनुज्ञप्तिधारी के साथ अनुबंधित मांग/स्वीकृत भार से अधिक है और अतिरिक्त मात्रा के लिये कोई स्थायी प्रभार या मांग प्रभार का भुगतान नहीं किया जा रहा है या देय नहीं है, उस स्थिति में, अनुबंधित मांग/स्वीकृत भार से अधिक ऐसी उपभोगित अतिरिक्त मात्रा के लिये आयोग के आदेशों के अनुसार समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अधिभार लागू होगा।

बशर्ते यह भी कि ऐसा अतिरिक्त अधिभार उस स्थिति में उद्ग्रहित नहीं किया जायेगा जब हरित ऊर्जा खुली पहुंच ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध करायी जाती है जिसने अपने स्थान तक स्वयं के उपयोग के लिये विद्युत ले जाने के लिये कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

बशर्ते यह भी कि यदि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित विद्युत हरित खुली पहुंच उपभोक्ता को आपूर्ति की जाती है तो अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा। बशर्ते यह भी कि अपतटीय पवन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के मामले में अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा, जो दिसंबर, 2032 तक प्रारम्भ हो जाती हैं और जिसकी खुली पहुंच उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है।

बशर्ते यह भी कि यदि हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादन के लिये किया जाता है तो अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

11.6 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय उर्जा स्रोतों से टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2020 और उसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों के अधीनप्रसारण प्रभार, वहीलिंग प्रभार, क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार के संबंध में प्रदान किये गये प्रोत्साहन/छूट, विनियमों की नियंत्रण अवधि के लिये लागू रहेंगे जब तक कि इन विनियमों में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

11.7 हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत आहरण के लिये स्टेण्डबाय प्रभार :

यदि हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ता उत्पादक स्रोतों से विद्युत प्राप्त करने/निर्धारित करने में असमर्थ है, जिन स्रोतों के साथ उत्पादक, प्रसारण प्रणाली और इसी तरह की अन्य कठौतियों के कारण विद्युत प्राप्त करने के लिये उनके अनुबंध है, क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ता को स्टेण्डबाय व्यवस्था प्रदान की जायेगी और अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट स्टेण्डबाय प्रभार वसूलने का हकदार होगा।

बशर्ते कि लागू स्टेण्डबाय प्रभार उपभोक्ता टैरिफ श्रेणी पर लागू ऊर्जा प्रभार का पच्चीस प्रतिशत होगा।

बशर्ते यह भी कि स्टेण्डबाय प्रभार वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ता को आपूर्ति की गयी स्टेण्डबाय ऊर्जा पर लागू टैरिफ के अतिरिक्त होगा।

बशर्ते यह भी कि यदि हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ता ने स्टेण्डबाय व्यवस्था के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी कोडे अहैड मार्केट के बंद होने के समय से एक दिन पूर्व 'डी- (माइनस) 1' अग्रिम सूचना दे दी है, तो स्टेण्डबाय प्रभार लागू नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के पास किसी अन्य स्रोत से स्टेण्डबाय/अतिरिक्त विद्युत की व्यवस्था करने का विकल्प होगा।

11.8 बैंकिंग:

ए. अनुबंध मांग के 100 प्रतिशत तक की क्षमता वाले नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों के लिये बैंकिंग:

- i. इन विनियमों में निर्दिष्ट बैंकिंग की शर्तें और निबंधन, इन विनियमों की नियंत्रण अवधि के प्रयोज्यता दौरान विद्यमान नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संयंत्रों और नये नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संयंत्रों दोनों के लिये लागू होंगे।
- ii. बैंकिंग सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिये, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र को एबीटी अनुरूप विशेष ऊर्जा मीटर (एसईएम) जो 15 मिनट के प्रत्येक ब्लॉक के लिये ऊर्जा लेखांकन में सक्षम हो, स्थापित करना होगा।
- iii. नवीकरणीय ऊर्जा कैप्टिव उत्पादन संयंत्र को उसके द्वारा माह के दौरान अंतःक्षेपित ऊर्जा के 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा या उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत की कुल मासिक उपभोग के 30 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के अधीन ऊर्जा बैंकिंग को केवल राज्य के भीतर कैप्टिव उपभोग के लिये अनुमति दी जायेगी:

बशर्ते कि खुली पहुंच के अंतर्गत तीसरे पक्ष को विद्युत आपूर्ति करने वाले नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों तथा मीटर के पीछे स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के लिये कोई भी बैंकिंग सुविधा की अनुमति नहीं दी जायेगी:

बशर्ते यह भी कि बैंकिंग सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिये, नवीकरणीय ऊर्जा कैप्टिव उत्पादन केन्द्र को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ व्हीलिंग और बैंकिंग समझौता करना होगा।

बशर्ते यह भी कि बैंकिंग वार्षिक आधार पर अनुमत होगी।

बशर्ते यह भी कि बैंकिंग के साथ-साथ बैंक की गयी ऊर्जा का आहरण भी, जैसा भी आवश्यक हो, शिड्यूलिंग/अनुसूचन के अधीन होगा।

बशर्ते यह भी कि किसी माह में हानियों के लेखांकन करने के पश्चात् अंतःक्षेपित ऊर्जा को उसी माह में डिस्कॉम से आहरित ऊर्जा के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा सिवाय उन व्यस्ततम घंटों के दौरान ली गई अतिरिक्त ऊर्जा जिन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर घोषित करता है। अतिरिक्त ऊर्जा, यदि कोई हो, तो बैंकिंग शुल्क समायोजित करने के पश्चात्, ऊपर निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन अगले माह में अग्रेषित की जायेगी।

बशर्ते यह भी कि आयोग पृथक आदेश के माध्यम से टाईम ऑफ डे टैरिफ स्लॉट्स के आधार पर बैंकिंग की अनुमति दे सकता है।

अनुबंध मांग के 100 प्रतिशत तक की क्षमता वाले संयंत्रों के लिये दृष्टांत:

यदि किसी माह में हानियों का लेखांकन करने के पश्चात् 1000 यूनिट ऊर्जा अंतःक्षेपित की गयी है और उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत का कुल मासिक उपभोग 900 यूनिट है, जिसमें से व्यस्ततम घंटों में अतिरिक्त 100 यूनिट का उपभोग है। तब विशेष माह के लिये विचारित की जाने वाली अतिरिक्त अंतःक्षेपित ऊर्जा 200 यूनिट $\{1000-(900-100)\}$, होगी और इसे अगले माह के लिये आगे ले जाया जायेगा क्योंकि यह बैंकिंग ऊर्जा सीमा के भीतर है (1000 यूनिट का 25% या 900 यूनिट का 30%, जो भी अधिक हो)। अगले माह के लिये विचारित जमा की गयी ऊर्जा $200 \times (1-8\%) = 184$ यूनिट होगी। डिस्कॉम व्यस्ततम घंटों के दौरान उपभोग की गयी 100 यूनिट अधिक ऊर्जा के लिये लागू टैरिफ के अनुसार बिल जारी करेगा।

स्पष्टीकरण: एक माह में व्यस्ततम घंटों के दौरान ली गयी अतिरिक्त ऊर्जा = (माह में व्यस्ततम घंटों के दौरान ली गयी कुल ऊर्जा घटाइये (-) माह में व्यस्ततम घंटों के दौरान अंतःक्षेपित कुल ऊर्जा)।

यदि अगले माह के दौरान हानियों का लेखा करने के पश्चात् 1000 यूनिट ऊर्जा अंतःक्षेपित की गयी है और उपभोक्ता द्वारा डिस्कॉम से विद्युत का कुल मासिक उपभोग 750 यूनिट है, जिसमें से व्यस्ततम घंटों में अतिरिक्त 100 यूनिट का उपभोग है, उस विशेष माह के लिये विचारित की जाने वाली अतिरिक्त ऊर्जा 350 यूनिट $\{1000 - (750 - 100)\}$, होगी। 350 यूनिट अतिरिक्त ऊर्जा में से केवल 250 यूनिट (1000 यूनिट के 25% या 750 के 30% में से जो अधिक हो,) को बैंक में जमा किया जायेगा तथा अगले माह के लिये आगे ले जाया जायेगा, शेष 100 यूनिट $(350 - 250)$ व्यपगत/रद्द हो जायेगी। तदनुसार, $230 (250 \times (1 - 8\%)) + 184$ (पिछले माह के दौरान बैंक में जमा) 414 यूनिट के बराबर अगले माह के लिये आगे ले जाया जायेगा। डिस्कॉम व्यस्ततम घंटों के दौरान उपभोग की गयी 100 यूनिट अधिक ऊर्जा के लिये लागू टैरिफ के अनुसार बिल जारी करेगा।

यदि अगले माह के दौरान हानियों का लेखा करने के पश्चात् 1000 यूनिट ऊर्जा अंतःक्षेपित की गयी है और उपभोक्ता द्वारा डिस्कॉम से विद्युत का कुल मासिक उपभोग 1500 यूनिट है, जिसमें से व्यस्ततम घंटों में अतिरिक्त 200 यूनिट का उपभोग है, तो उस विशेष माह में अव्यस्ततम घंटों के दौरान उपभोग की गयी ऊर्जा $\{1000 - (1500 - 200)\} = -300$ यूनिट होगी। इस मामले में, उपरोक्त अतिरिक्त आहरित 300 यूनिटों को पहले से बैंक में जमा 414 यूनिटों के साथ समायोजित किया जायेगा तथा शेष 114 यूनिटों को अगले माह के लिये आगे ले जाया जायेगा। डिस्कॉम व्यस्ततम घंटों के दौरान उपभोग की गयी 200 यूनिट अधिक ऊर्जा के लिये लागू टैरिफ के अनुसार बिल जारी करेगा।

- iv. वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त बैंक की गयी ऊर्जा समाप्त हो जायेगी और नवीकरणीय ऊर्जा कैप्टिव उत्पादन संयंत्र विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों के अनुसार, समाप्त हो चुकी बैंक की गयी ऊर्जा की सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।

- v. बैंक की गयी ऊर्जा का 8 प्रतिशत की दर से बैंकिंग प्रभार वस्तु के रूप में देय होगा तथा इसे आहरण से पूर्व बैंक में जमा ऊर्जा के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा, अथवा किसी अन्य दर पर अथवा मौद्रिक रूप में अथवा उनके संयोजन में, जैसा कि आयोग द्वारा पृथक आदेश के माध्यम से निर्दिष्ट किया जायेगा।

दृष्टांत: यदि हानियों का लेखांकन करने के पश्चात उपभोग के अंत में 100 यूनिट ऊर्जा बैंक में जमा कर ली गयी है, तो कैप्टिव उपभोक्ता बैंक की गयी ऊर्जा से 92 यूनिट का आहरण के योग्य होगा तथा बैंकिंग प्रभारों के रूप में 8 यूनिट की कटौती की जायेगी।

- vi. बैंकिंग से संबंधित उपरोक्त प्रावधान सभी विद्यमान परियोजनाओं के साथ-साथ इन विनियमों के लागू होने के पश्चात् प्रारम्भ की गयी नयी परियोजनाओं पर भी लागू होंगे और 31.03.2030 तक या आयोग द्वारा आदेश के माध्यम से अलग से निर्धारित की गयी किसी अन्य तिथि तक लागू रहेंगे।

बी. अनुबंध मांग के 100 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक की क्षमता वाले नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों के लिये बैंकिंग:

- i. इन विनियमों में निर्दिष्ट बैंकिंग की निबंधन और शर्तें, इन विनियमों की नियंत्रण अवधि के दौरान विद्यमान नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संयंत्रों और नये नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संयंत्रों दोनों के लिये लागू होंगी।
- ii. बैंकिंग सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिये, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र को एबीटी अनुरूप विशेष ऊर्जा मीटर (एसईएम) जो 15 मिनट के प्रत्येक ब्लॉक के लिये ऊर्जा लेखांकन में सक्षम हो, स्थापित करना होगा।
- iii. नवीकरणीय ऊर्जा कैप्टिव उत्पादन स्टेशन द्वारा उपभोग के छोर पर उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत की कुल मासिक उपभोग के 30 प्रतिशत के अधीन बैंक की गयी ऊर्जा को केवल राज्य के भीतर कैप्टिव उपभोग के लिये अनुमति दी जायेगी:

बशर्ते कि खुली पहुंच के अंतर्गत तीसरे पक्ष को विद्युत आपूर्ति करने वाले नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों तथा मीटर के पीछे स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के लिये कोई भी बैंकिंग सुविधा की अनुमति नहीं दी जायेगी:

बशर्ते यह भी कि बैंकिंग सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिये, नवीकरणीय ऊर्जा कैप्टिव उत्पादन केन्द्र को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ व्हीलिंग और बैंकिंग समझौता करना होगा।

बशर्ते यह भी कि बैंकिंग बिलिंग चक्र के आधार पर अनुमतकी जायेगी।

बशर्ते यह भी कि बैंकिंग के साथ-साथ बैंक में जमा ऊर्जा का आहरण भी, जैसा आवश्यक हो, शिडयूलींग/अनुसूचन के अधीन होगा।

बशर्ते यह भी कि किसी बिलिंग चक्र में हानियों का लेखा करने के पश्चात् अंतःक्षेपित ऊर्जा को उसी बिलिंग चक्र में डिस्कॉम से आहरित ऊर्जा के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा। बैंक की गयी ऊर्जा के क्रेडिट को आगामी बिलिंग चक्र में अग्रेषित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा उसे उसी बिलिंग चक्र के दौरान समायोजित किया जायेगा।

बशर्ते यह भी कि किसी माह में हानियों का लेखा करने के पश्चात् अंतःक्षेपित ऊर्जा को उसी माह में डिस्कॉम से आहरित ऊर्जा के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा सिवाय उन व्यस्ततम घंटों के दौरान ली गयी अतिरिक्त ऊर्जा के जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर घोषित करेगा।

बशर्ते यह भी कि आयोग पृथक आदेश के माध्यम से टाईम ऑफ डे टैरिफ स्लॉट्स के आधार पर बैंकिंग की अनुमति दे सकता है।

- iv. बिलिंग चक्र के अंत में अप्रयुक्त बैंक की गयी ऊर्जा समाप्त हो जायेगी और नवीकरणीय ऊर्जा कैप्टिव उत्पादन संयंत्र विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों के अनुसार, समाप्त हो चुकी बैंक की गयी ऊर्जा की सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।
- v. बैंकिंग प्रभार बैंक की गयी ऊर्जा के 8 प्रतिशत की दर से वस्तु के रूप में देय होगा तथा इसे निकासी से पूर्व बैंक की गयी ऊर्जा के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा, अथवा किसी अन्य दर पर अथवा मौद्रिक रूप में अथवा उनके संयोजन में, जैसा कि आयोग द्वारा पृथक आदेश के माध्यम से निर्दिष्ट किया जायेगा।

सी. हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया उत्पादन संयंत्रों के लिये स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये बैंकिंग:

हरित हाइड्रोजन/अमोनिया उत्पादन संयंत्र के लिये स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों (भंडारण सहित या रहित) के लिये बैंकिंग की निबंधन एवं शर्तें राज्य सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगी।

12. कटौती हेतु प्राथमिकता

यदि प्रसारण/वितरण प्रणाली की बाधाओं या अन्यथा के कारण, जीईओए उपभोक्ता की सेवा में कटौती करना आवश्यक है, तो निम्नलिखित प्राथमिकता का पालन किया जायेगा।

- क. सर्वप्रथम अल्पावधि खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं (जीईओए उपभोक्ताओं के अतिरिक्त) की सेवा में कटौती की जायेगी, उसके पश्चात् अल्पावधि जीईओए उपभोक्ताओं की सेवा में कटौती की जायेगी।
- ख. इसके पश्चात्, मध्यम अवधि के खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं (जीईओए उपभोक्ताओं के अतिरिक्त) की सेवा में कटौती की जायेगी, उसके पश्चात् मध्यम अवधि के जीईओए उपभोक्ताओं की सेवा में कटौती की जायेगी।
- ग. इसके पश्चात्, दीर्घ अवधि के खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं (जीईओए उपभोक्ताओं के अतिरिक्त) की सेवा में कटौती की जायेगी, उसके पश्चात् दीर्घ अवधि के जीईओए उपभोक्ताओं की सेवा में कटौती की जायेगी।

बशर्ते कि किसी श्रेणी के अंतर्गत, जीईओए उपभोक्ताओं को कटौती हेतु समान प्राथमिकता दी जायेगी तथा कटौती आनुपातिक आधार पर की जायेगी।

बशर्ते यह भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सेवा में कटौती अंतिम विकल्प के रूप में की जायेगी।

13. मीटरिंग

- i. हरित ऊर्जा खुली पहुँच उपभोक्ता को जनरेटर के अंतिम छोर, इंटरफेस बिन्दू, उपभोग स्थान पर एबीटी अनुरूप विशेष ऊर्जा मीटर (एसएमई) या ऐसे अन्य मीटर लगाने होंगे, जो 15 मिनट के प्रत्येक ब्लॉक के लिये ऊर्जा लेखा करने में सक्षम हों, जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना एवं संचालन) विनियम, 2006 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुरूप होंगे।
- ii. ग्रिड कनेक्टिविटी के लिये मीटरिंग बिन्दू एवं इंटरकनेक्शन बिन्दू निकटतम प्रसारण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी सब-स्टेशन होगा।

- iii. उपरोक्त मीटरों को सदैव अच्छी स्थिति में रखा जायेगा तथा राज्य प्रसारण यूटिलिटी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये खुला रखा जायेगा।
- iv. हरित ऊर्जा खुली पहुंच इकाई को अपने मीटरों का समय-समय पर परीक्षण कराना होगा जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना एवं संचालन) विनियम, 2006 समय-समय पर यथा संशोधित में निर्दिष्ट है तथा इसके लिये संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास आवश्यक परीक्षण शुल्क जमा कराना होगा।
- v. मीटर का परीक्षण, अंशशोधन और सीलिंग वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समाहित अन्य पक्षों की उपस्थिति और संबंधित प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी/एसटीयू के प्रतिनिधि की उपस्थिति में, यदि मीटर उनके ग्रिड सबस्टेशन पर स्थापित है, में किया जायेगा। किसी भी दोषपूर्ण मीटर का प्रतिस्थापन 30 दिनों में किया जायेगा, अन्यथा इकाईय को खुली पहुंच अस्वीकृत होगी।
- vi. सभी हरित ऊर्जा खुली पहुंच इकाईयों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मीटरिंग मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

14. प्रतिघाती (रिएक्टिव) ऊर्जा प्रभार

हरित ऊर्जा उत्पादक/उपभोक्ता के संबंध में, मूल्य निर्धारण सहित प्रतिघाती (रिएक्टिव) ऊर्जा प्रबंधन समय-समय पर आयोग द्वारा पारित विनियमों/आदेशों के अनुसार होगा।

15. ऊर्जा हानियाँ

जीईओए उपभोक्ताओं पर आयोग द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट प्रसारण और वितरण प्रणाली की ऊर्जा हानियाँ लागू होंगी।

16. आवेदन शुल्क, भुगतान सुरक्षा और अन्य वाणिज्यिक शर्तें

(1) दीर्घावधि और मध्यम अवधि हरित ऊर्जा खुली पहुंचके लिये

- (क) दीर्घावधि और मध्यम अवधि की हरित ऊर्जा खुली पहुंच इकाई विस्तृत प्रक्रिया में निर्धारित तरीके और प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेगी।
- (ख) हरित ऊर्जा खुली पहुंच का लाभ प्राप्त करने को आशयित इकाई को अपने आवेदन की एक प्रति आपूर्ति क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) को भी प्रस्तुत करनी होगी।

- (ग) आवेदन के साथ दीर्घावधि के लिये 1,00,000 रुपये (केवल एक लाख रुपये) और मध्यम अवधि के लिये 20,000 रुपये (केवल बीस हजार रुपये) का गैर-वापसी योग्य शुल्क विस्तृत प्रक्रिया में निर्धारित नाम और तरीके से संलग्न करना होगा।
- (घ) आवेदन के साथ विस्तृत प्रक्रिया में निर्धारित तरीके से निर्दिष्ट आवेदन शुल्क के अतिरिक्त दीर्घावधि खुली पहुंच के लिये प्रेषित की जाने वाली कुल विद्युत के 10,000 रुपये/मेगावाट (दस हजार रुपये प्रति मेगावाट) के अनुरूप बैंक गारंटी संलग्न करनी होगी। बैंक गारंटी को दीर्घावधि खुली पहुंच के प्रारंभ होने तक वैध और जारी रखा जायेगा।
- (ङ) खुली पहुंच ग्राहक को प्रसारण प्रभागों के प्रति भुगतान-प्रतिभूति के रूप में, राज्य प्रसारण यूटीलिटी के पास आवंटित खुली पहुंच क्षमता के लिये 3 माह के प्रसारण प्रभागों के बराबर राशि जमा करानी होगी,
- (च) खुली पहुंच ग्राहक को राभाप्रेके प्रभागों के प्रति भुगतान-प्रतिभूति के रूप में, राज्य भार प्रसारण केन्द्र के पास आवंटित खुली पहुंच क्षमता के लिये शेडयूलिंग और परिचालन प्रभागों सहित राभाप्रेक शुल्क और प्रभागों के 3 माह के बराबर राशि जमा करानी होगी।
- (छ) वहीलिंग प्रभाग, क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार के प्रति भुगतान-प्रतिभूति के रूप में, आवंटित खुली पहुंच क्षमता के लिये इन प्रभागों के लिये 3 माह की बिलिंग के बराबर जमा राशि आपूर्ति क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास रखी जायेगी,
- बशर्ते कि एमवीए/केवीए से मेगावाट/किलोवाट अथवा इसके विपरीत इकाई रूपांतरण के प्रयोजन के लिये यूनिटी पावर गुणांक पर विचार किया जायेगा।
- बशर्ते यह भी कि यदि कोई विद्यमान खुली पहुंच ग्राहक एक वित्तीय वर्ष से अधिक समय से खुली पहुंच का लाभ ले रहा है, तो प्रतिभूति को पिछले वित्तीय वर्ष के औसत मासिक खुली पहुंच प्रभागों के आधार पर संशोधित किया जायेगा।
- बशर्ते यह भी कि राज्य के बाहर विद्युत विक्रय करने वाले आईपीपी/सीपीपी को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास कम अन्तःक्षेपन (यदि कोई हो) के लिये प्रतिभूति राशि भी जमा करानी होगी, जो कि प्रस्तावित मासिक अनुबंधित विक्रय योग्य उत्पादन के 10 प्रतिशत के बराबर एचटी औद्योगिक टैरिफ की ऊर्जा प्रभाग दर के

अनुसार होगी। इस राशि की पुनर्गणना वित्तीय वर्ष के पूर्व त्रैमासिक के वास्तविक विक्रय के पश्चात् की जायेगी।

(ज) ऐसी प्रतिभूति नकद जमा/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होगी।

(2) अल्पावधि खुली पहुंच के लिये

(क) अल्पावधि हरित ऊर्जा खुली पहुंच इकाई विस्तृत प्रक्रिया में निर्धारित तरीके और प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेगी।

(ख) अल्पावधि राज्यान्तर्गत हरित ऊर्जा खुली पहुंच का लाभ प्राप्त करने को आशयित इकाई को अपने आवेदन की एक प्रति आपूर्ति क्षेत्र के प्रसारण और वितरण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) को भी प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) आवेदन के साथ अल्पावधि हरित ऊर्जा खुली पहुंच के लिये 5,000 रुपये (केवल पांच हजार रुपये) का गैर-वापसी योग्य शुल्क विस्तृत प्रक्रिया में निर्धारित नाम और तरीके से संलग्न करना होगा।

(घ) हरित ऊर्जा खुली पहुंच इकाई को उस अवधि के लिये अग्रिम रूप से प्रसारण प्रभार, राभाप्रेके प्रभार, वहीलिंग प्रभार, अधिभार, अतिरिक्त अधिभार और ऐसे अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा, जिसके लिये खुली पहुंच प्रदान की गयी है।

(ङ) अन्य निबंधन एवं शर्तें, प्रसारण प्रभार, वहीलिंग प्रभार और शेडयूलिंग एवं प्रणाली संचालन प्रभार के लिये वाणिज्यिक शर्तों सहित जैसे भुगतान की शर्तें, ऋण पात्रता, क्षतिपूर्ति और अपरिहार्य घटना की शर्तें आदि, विस्तृत प्रक्रिया में दिए गये अनुसार होंगी।

17. ग्रिड कोड/आपूर्ति कोड का अनुपालन

जीईओए उपभोक्ताओं को राज्य ग्रिड कोड, आपूर्ति कोड और समय-समय पर लागू सभी अन्य कोड और मानकों, डीएसएम विनियमों का पालन करना होगा।

18. प्रभारों का संग्रहण और संवितरण

(1) खुली पहुंच ग्राहकों के संबंध में प्रसारण प्रभार और वहीलिंग प्रभार खुली पहुंच ग्राहक द्वारा सीधे संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को देय होंगे।

(2) खुली पहुंच ग्राहकों के संबंध में शेडयूलिंग और प्रचालन प्रभारों सहित राभाप्रेके शुल्क और प्रभारों का भुगतान राज्य भार प्रेषण केन्द्र को किया जायेगा।

- (3) असूचित/अपूर्वनियोजित इंटरचेंज/डीएसएम प्रभारों का भुगतान राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा निर्देशित तरीके से किया जायेगा।
- (4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित क्रॉस सब्सिडी अधिभार, अतिरिक्त अधिभार या कोई अन्य प्रभार खुली पहुंच उपभोक्ता द्वारा सीधे उस वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान किया जायेगा जिसके आपूर्ति क्षेत्र में वह स्थित है।
- (5) यदि कोई शुल्क या अन्य प्रभार मासिक आधार पर निर्दिष्ट किया गया है, तो ये प्रभार माह के अंश हेतु संव्यवहार के लिये आनुपातिक दैनिक आधार पर निर्धारित किये जायेगे।
- (6) आपूर्तिकर्ता के छौर वाला वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अर्थात् वह वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिसके क्षेत्र में खुली पहुंच आपूर्ति का अंतःक्षेपण बिंदु स्थित है, राभाप्रेके, राविप्रनि, आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता छौर के वितरण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) को नियत समय पर लिये गये समय ब्लॉक वार मीटर रीडिंग की जानकारी देगा (या डाउनलोड करेगा)।
- (7) उपभोक्ता के छौरवितरण अनुज्ञप्तिधारी अर्थात् वह वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिसके आपूर्ति क्षेत्र में खुली पहुंच उपभोक्ता स्थित है, राभाप्रेके, उपभोक्ता, राविप्रनि और उपभोक्ता को नियत समय पर लिये गये समय ब्लॉक वार मीटर रीडिंग की जानकारी देगा (या डाउनलोड करेगा)।
- (8) उपभोक्ता छौरके वितरण अनुज्ञप्तिधारी अंतःक्षेपण अनुसूची, आहरण अनुसूची, मीटर रीडिंग और एचटी विद्युत तथा स्टेण्डबाय एवं स्टार्ट अप आपूर्ति के लिये अनुबंध मांगों के आधार पर अनंतिम ऊर्जा लेखा तैयार करेंगे तथा मासिक बिल जारी करेंगे। अनंतिम बिल महीने के प्रथम सप्ताह में जारी किया जायेगा। अनंतिम ऊर्जा लेखे की एक प्रति राभाप्रेके को भी उपलब्ध करायी जायेगी। यह वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनंतिम रूप से यूआई/विचलन को विचारित तथा तैयार किया जायेगा तथा राभाप्रेके को सूचित किया जायेगा। राभाप्रेके अंतिम यूआई/विचलन प्रभार लेखा जारी करेगा।

19. सूचना प्रणाली:

- i. राभाप्रेके एक पृथक वेब पेज पर निम्नलिखित सूचना शीर्षक “हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सूचना” के अंतर्गत प्रविष्ट करेगा और ऐसी सूचना को समाहित कर मासिक और वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करेगा।

- क. दीर्घावधि/मध्यम अवधि/अल्पावधि उपभोक्ताओं पर स्थिति रिपोर्ट, जिसमें अंतःक्षेपण के बिंदु और प्रदान की गयी पहुंच की आहरण अवधि (आरंभ तिथि और समाप्ति तिथि) और उपयोग की गयी खुली पहुंच क्षमता को शामिल किया गया हो।
- ख. संकुलन की स्थिति में बोली लगाने के लिये न्यूनतम दर
- ग. ईएचवी और एचवी लाइनों पर उपलब्ध अधिकतम लोड प्रवाह और क्षमता
- घ. आयोग द्वारा मासिक आधार पर प्रसारण प्रणाली और वितरण प्रणाली में अनुमोदित औसत हानि के बारे में सूचना।
- इ. लंबित आवेदनों की सूची, उनकी स्थिति और अस्वीकृति के कारण।
- ii. स्थिति में प्रत्येक परिवर्तन पर सूचना को अद्यतन किया जायेगा।
- iii. सभी पिछली रिपोर्ट वेब-अभिलेखागार में उपलब्ध होंगी।
- iv. राभाप्रेके इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से एक माह के भीतर उपरोक्त सूचना को अपनी वेबसाइट पर प्रविष्ट करेगा।

20. रिपोर्ट

राज्य नोडल एजेंसी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रारूप में सूचना को समाहित करते हुये मासिक आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित करेगी:

क्र.स.	जीईओए/व्हीलिंग उपभोक्ता का नाम और पता	अंतःक्षेपणका बिंदु	आहरण का बिंदु	अनुमत क्षमता (मेगावाट)	खुली पहुंच की अनुमत अवधि	ऊर्जा का वास्तविक वार्षिक उपयोग (एमयू में)

21. संचार सुविधा

हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ता के पास वास्तविक समय के आधार पर जनरेटर स्थान से/को राज्य नोडल एजेंसी (राभाप्रेके) और उपभोक्ता स्थान से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तक डेटा/आदेश/सूचना के निर्बाध संचार की सुविधा के लिये अपेक्षित संचार प्रणाली होनी चाहिए।

22. हरित ऊर्जा टैरिफ

- i. कोई भी उपभोक्ता अपने उपभोग के लिये निश्चित प्रतिशत या संपूर्ण उपभोग तक हरित ऊर्जा क्रय करने के विकल्प का चयन कर सकता है और वे इसके लिये अपने वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अनुरोध कर सकता है, जो हरित ऊर्जा की निर्धारित मात्रा का क्रय करेगा

और उसकी आपूर्ति करेगा तथा उपभोक्ता को सौर और गैर-सौर ऊर्जा के लिये अलग-अलग मांग करने की सुविधा होगी,

- ii. उपभोक्ता स्वैच्छिक आधार पर, अपनी बाध्यता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्रय कर सकता है और कार्यान्वयन में सुगमता के लिये, यह पच्चीस प्रतिशत के चरणों में सौ प्रतिशत तक हो सकती है,
- iii. आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विभिन्न लागत घटकों पर विचार करते हुये हरित ऊर्जा के लिये टैरिफ का निर्धारण आदेश के माध्यम से पृथक रूप से किया जायेगा,
- iv. वितरण अनुज्ञप्तिधारी से हरित ऊर्जा के लिये कोई भी मांग न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिये होगी,
- v. हरित ऊर्जा की मात्रा कम से कम एक वर्ष के लिये पूर्व-निर्दिष्ट की जायेगी,
- vi. वितरण अनुज्ञप्तिधारी से या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अतिरिक्त अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय की गयी हरित ऊर्जा, जो कि बाध्य इकाई के नवीकरणीय क्रय दायित्व से अधिक हो, को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नवीकरणीय क्रय दायित्व अनुपालन में माना जायेगा,
- vii. वितरण अनुज्ञप्तिधारी स्तर पर आपूर्ति की गयी नवीकरणीय ऊर्जा का लेखांकन मासिक आधार पर होगा।

23. हरित प्रमाणपत्र

वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं के नवीकरणीय क्रय दायित्व से अधिक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को उनके अनुरोध पर आपूर्ति की गयी हरित ऊर्जा के लिये वार्षिक आधार पर उपभोक्ताओं को हरित प्रमाणपत्र देगा।

24. रेटिंग

आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता के लिये रेटिंग की अवधारणा आरम्भ कर सकता है जो ऐसे उपभोक्ता द्वारा क्रय की गयी हरित ऊर्जा के प्रतिशत पर आधारित होगी।

25. विवाद समाधान:

- (i) खुली पहंच के लिये किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक को मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।
- (ii) जीईओए से संबंधित सभी विवाद और शिकायतें राभाप्रेके को की जायेगी, जो शिकायत की जांच कर उसका समाधान करने का प्रयास करेगा।

(iii) यदि राभाप्रेके शिकायत का निवारण करने में असमर्थ है, तो उसे राज्य ग्रिड कोड के अधीन गठित राज्य विद्युत समिति को भेजा जायेगा जो 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेगी और

(iv) यदि राज्य विद्युत समिति शिकायत का समाधान करने में असमर्थ हो, वहां उसे आयोग को भेजा जायेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

26. आदेश और कार्यप्रणाली हेतु निर्देश जारी करना

विद्युत अधिनियम, 2003 और इन विनियमों के प्रावधान के अधीन रहते हुये आयोग समय-समय पर विनियमों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश और कार्यप्रणाली हेतु निर्देश जारी कर सकता है।

27. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:

इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को लागू करने में किसी भी कठिनाई के मामले में, आयोग, सामान्य या विशेष आदेश, द्वारा जीईओए उपभोक्ताओं, उत्पादकों, राज्य नोडल एजेंसी और अनुज्ञप्तिधारियों को उपयुक्त कार्यवाही करने का निर्देश जो विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ असंगत न हो और जो आयोग को कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत होगा, दे सकेगा।

जीईओए उपभोक्ता/उत्पादक/अनुज्ञप्तिधारी/एसएनए आयोग को आवेदन कर सकते हैं तथा इन विनियमों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिये उपयुक्त आदेश हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

28. संशोधन करने की शक्ति:

आयोग समय-समय पर आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात् इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को जोड़, परिवर्तित, उपान्तरित या संशोधित कर सकेगा।

29. छूट देने की शक्ति:

आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके तथा प्रभावित होने वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष किये गये आवेदन पर, इन विनियमों के किसी उपबंध में शिथिलता प्रदान कर सकता है।

30. व्याख्या:

इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

31. संरक्षण प्रावधान

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2020 एवं 'राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (खुला अभिगमन के लिये निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2016 के प्रावधान जो इन विनियमों के अधीन प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं या इन विनियमों या इसके अधीन बनायी गयी प्रक्रिया के अंतर्गत आवृत्त नहीं हैं, वे भी यथोचित परिवर्तनों सहित इन विनियमों का अंश माने जायेंगे।

आयोग की आज्ञा से,

बाबूलाल गोयल, आई.ए.एस.

सचिव।

विशेष टिप्पणी: मूल अंग्रेजी भाषा में विनियम व उसके हिन्दी रूपान्तरण में अगर अन्तर होता है, तो अंग्रेजी भाषा का अभिप्राय ही मान्य होगा।

Rajasthan Electricity Regulatory Commission

NOTIFICATION

Jaipur, May 21, 2025

No. RERC/Secy/Regulation 158 -In exercise of the powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with Sections 39, 40, 42, 61 and 86 thereof and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Green Energy Open Access) Regulations, 2025.

1. Short Title, Commencement and Extent of Application:

- i. These Regulations shall be called the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Green Energy Open Access) Regulations, 2025.
- ii. These Regulations shall come into force from such date as the Commission may notify.
Provided that different dates may be appointed for commencement of provisions of different regulations.
- iii. These Regulations shall extend to the whole State of Rajasthan.
- iv. Notwithstanding anything contrary contained in any other Regulation time being in force, of the Commission, these Regulations shall be applicable for allowing Open Access to electricity generated from Renewable Energy Sources, both captive and third party, for use of Intra-State Transmission System/s (InSTS) and/or distribution

system/s of licensee/s in the State, including such Intra-State Transmission and/or distribution system/s, which are incidental to Inter-State Transmission of electricity.

2. Definitions:

- (i) In these regulations, unless the context otherwise requires,
 - a. "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - b. "Applicant" means a consumer, trading licensee, distribution licensee or a generating company who has applied seeking Green Energy Open Access as the case may be;
 - c. "Banking" means the surplus green energy injected in the grid and credited with the distribution licensee by the Green Energy Open Access consumers and that shall be drawn along with charges to compensate additional costs, if any;
 - d. "Captive generating plant" means a power plant set up by any person to generate electricity primarily for his own use and includes a power plant set up by any co-operative society or association of persons for generating electricity primarily for use of members of such cooperative society or association;
 - e. "Central Nodal Agency" means the Nodal Agency as notified by the Central Government to set up and operate a single window green energy open access system for renewable energy as per the Rules;
 - f. "Commission" means the Rajasthan Electricity Regulatory Commission;
 - g. "Entity" means following:
 - (i) Consumer who has contracted demand or sanctioned load of one hundred kW or more either through single connection or through multiple connections aggregating one hundred kW or more located in the same electricity division of a distribution licensee, except for captive consumers. However, in the case of captive consumers, there shall not be any such lower load limitation.
 - (ii) Generator who produces Green Energy/Renewable Energy (including RE Captive Generating plant) and intends to avail open access;
 - h. "Existing Consumer/Generator" means a person already availing open access for sourcing/supplying Renewable energy to the transmission system and/or distribution system of a licensee in state under an existing agreement or GoR policy on the date of coming into force of these Regulations;
 - i. "Green Energy/Renewable Energy" means the electrical energy from renewable sources of energy including wind, solar, hydro, pumped Storages Hydro generation, energy storage system and storage (if the storage uses only renewable energy), Municipal Solid Waste-to-Energy based generation, biomass and bagasse based co-generation plants or any other technology as may be notified by the GOI from time to time and shall also include any mechanism that utilizes renewable energy to replace fossil fuels including production of green hydrogen or green ammonia;
 - j. Green Hydrogen / Green Ammonia means Hydrogen / Ammonia produced by using Renewable Energy; including Renewable Energy which has been banked and the Hydrogen/Ammonia produced from biomass.

Provided that Green Hydrogen / Green Ammonia can be manufactured by a developer by using Renewable Energy from a co-located Renewable Energy plant, or sourced from a remotely located Renewable Energy plants, whether set up by the same developer, or a third party or procured renewable energy from the Power Exchange;

- k. "Green Energy Open Access Consumer" means any person who has contract demand or sanctioned load of 100 kW or more, either through single connection or through multiple connections aggregating one hundred (100) kW or more located in same electricity division of a distribution licensee, shall be eligible to take Green Energy through Open Access (captive consumers shall not have any such lower load limit) or such other limit as may be specified by Commission from time to time, who are supplied with electricity from green energy sources for their own use by a licensee or the Government or from its own Captive Generation Plant or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public including captive under the Electricity Act, 2003 or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving green energy with the works of a licensee, the Government or such person, as the case may be;
- l. "Obligated Entity" means the entities mandated under Clause (e) of subsection (1) of Section 86 of the Act to fulfill the Renewable Purchase Obligation, which includes distribution licensee, captive consumer / user and open access consumer;
- m. "Open Access" means the non-discriminatory provision for the use of transmission lines or distribution system or associated facilities with such lines or system by any licensee or consumer or a person engaged in generation in accordance with the Regulations specified by the Appropriate Commission;
- n. "Person" shall include any company or body corporate or association or body of individuals whether incorporated or not, or artificial juridical person;
- o. "Renewable Hybrid Energy Project" means a renewable energy project where the rated capacity of generation from one renewable energy source is at least 25% of the rated capacity of generation from other renewable energy source(s), having a single point of injection or maximum two points of injection into the grid ;
- p. "Rules" means Rules made under the Electricity Act, 2003, including Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access) Rules, 2022 and subsequent Amendments;
- q. "SLDC" means the State Load Dispatch Centre established under sub-section (1) of Section 31 of the Act;
- r. "State Transmission Utility" means the Board or the Government company specified as such by the State Government under sub-section (1) of Section 39 of the Act;
- s. "Standby charges" means the charges applicable to green energy open access consumers against the standby arrangement provided by the distribution licensee, in case such green energy open access consumer is unable to procure/schedule power from the generating sources with whom they have the agreements to procure power due to outages of generator, transmission systems and the like;

- t. "Wheeling" means the operation whereby the distribution system and associated facilities of a transmission licensee or distribution licensee, as the case may be, are used by another person for the conveyance of electricity on payment of charges to be determined under section 62 of the Act;
- (ii) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or the Indian Electricity Grid Code (IEGC) or the Rules prescribed by GOI or the State Grid Code or the State Electricity Supply Code shall have the meaning assigned to them under the Act or the IEGC or the Rules or the State Grid Code, or the State Electricity Supply Code or any other Regulations notified by the Commission as the case may be.

3. Criteria for allowing Green Energy Open Access (GEOA)

- i. The long-term GEOA shall be allowed in accordance with the transmission planning criteria and other relevant provisions stipulated in the State Grid Code and distribution plan as prepared by the Distribution Licensee.

Provided that in case a need for strengthening of the existing transmission/distribution system on account of capacity addition of RE plants is established as per the system study undertaken by STU/Discom, the expenses towards the system strengthening shall be borne by the concerned entity.

- ii. The Short-Term/Medium Term open access shall be allowed, if the request can be accommodated, by utilizing:
 - a. Inherent design margins
 - b. Margins available due to variation in power flows and
 - c. Margins available due to in-built spare transmission system capacity and/or distribution system capacity created to cater to future load growth;

Provided that any consumer may elect to purchase green energy either upto a certain percentage of the consumption or its entire consumption and they may place a requisition for this with their distribution licensee, which shall procure such quantity of green energy and supply it and the consumer shall have the flexibility to give separate requisition for solar and non-solar Green Energy.

Provided further that any requisition for green energy from a distribution licensee shall be for a minimum period of one year.

Provided also that the quantum of green energy shall be pre-specified for at least one year.

Provided also that the green energy purchased from distribution licensee or from Renewable Energy sources other than distribution licensee in excess of Renewable Purchase Obligation of obligated entity and not utilized by such entity in any other manner shall be counted towards Renewable Purchase Obligation compliance of the distribution licensee.

Provided also that the Accounting of renewable energy supplied at distribution licensee level shall be on a monthly basis.

4. Categorization of Green Energy Open Access:

The Green Energy Open Access consumers shall be classified into the following categories based on the duration of use of the intra- state transmission and/or distribution system:

- i. “Long-term Green Energy Open Access” means the right to use the intra-State transmission system and/or distribution system for a period exceeding 12 years but not exceeding 25 years.
- ii. “Medium-term Green Energy Open Access” means the right to use the intra-State transmission system and/or distribution system for a period exceeding three months but not exceeding three years.
- iii. “Short-term Green Energy Open Access” means open access for a period up to one month at a time.

Provided that on expiry of granted short term Green Open Access, if such consumer desires to avail the short-term Green Energy Open Access for further period, it shall require to file application for such period and such application shall be considered as fresh application and priority shall be fixed on basis of date of such application.

Provided further that the period for Long Term, Medium Term and Short Term Green Energy Open Access may be appropriately revised by the Commission as and when required through a separate order.

5. Eligibility Criteria for applying GEOA

- i. Subject to the provisions of these Regulations and system availability, consumers shall be eligible for open access to the intra-state transmission system of the State Transmission utility or any transmission licensee/s and distribution system/s of the distribution Licensee/s within the State.

Provided that notwithstanding anything contained in these Regulations, any RE generating company having subsisting Power Purchase Agreement (PPA) with the Distribution Licensee, shall not be entitled to Open Access for the RE capacity, for which PPA is entered into, except in accordance with the terms of such PPA and also for such capacity (quantum of power) for which Open Access is already granted.

Provided further that, such open access shall be available on payment of such charges as may be determined by the Commission from time to time.

Provided also that such entities having been declared insolvent or bankrupt or having outstanding dues against them for more than 2 months of billing of the distribution/Transmission licensee or having a case of unauthorized use of electricity/ theft against them at the time of application, shall not be eligible for Open Access.

- ii. Every person, who has constructed a captive generating plant, shall have the right to open access as per the provisions of Section 9 of the Act read with rules & Regulations covered under the Act and orders of the Commission on the subject matters from time to time.

Provided that consumers who have contract demand or sanctioned load of 100 kW or more, either through single connection or through multiple connections aggregating Hundred (100) kW or more located in same electricity division of a distribution licensee, shall be eligible to take Green Energy through Open Access under these Regulations.

Provided further that there shall be no such lower limit with respect to contracted load or sanctioned load for the captive use of energy by the consumer opting under Green Energy Open Access. However, this shall be on payment of charges and on such terms & conditions as may be decided by the Commission.

Provided that new RE projects on the STU network (excluding hydro projects) with an installed capacity of over 5 MW or as may be specified by the Commission will be mandated to install ESS (of at least 2 hours storage) for a minimum of 5% of the RE capacity.

Provided further that maximum permissible capacity of individual new renewable energy based captive power plant including renewable energy based plant installed behind the meter shall be allowed upto 200% of the contract demand.

Provided also that Renewable Energy based captive power plants having capacity above 100% contract demand and upto 200% of contract demand shall be required to install Battery Energy Storage System (BESS) for a minimum 20% of the energy generated by the additional capacity RE captive plant, i.e., capacity beyond the 100% of the contract demand. This percentage of Energy to be stored may further be reviewed by the Commission through a separate order from time to time. The operation of such storage capacity shall be as directed by SLDC/Distribution Licensee through a separate order.

Provided also that for the associated Green Hydrogen/Ammonia plant the peak power generation capacity of wind/solar/hybrid plant (with or without storage facility) shall be allowed as per the State Govt Policy.

Provided also that green energy open access consumer shall not change the quantum of power consumed through open access within 12-time blocks, so as to avoid high variation in demand to be met by the distribution licensee.

6. Nodal Agency

- i. All the applications related to green energy open access shall be submitted through the portal set up by the Central Nodal Agency. The applications shall be routed to the State Nodal Agency (SNA) by the Central Nodal Agency.

Provided that the application received through Central Nodal Agency by SNA shall be processed as per procedure & formats devised by STU.

Provided further that the application shall be disposed within 15 days from the date of receiving the same from CNA.

- ii. Rajasthan State Transmission Utility (STU) shall operate as the State Nodal Agency (SNA) for grant of long-term and medium-term green energy open access and

Rajasthan State Load Despatch Centre (SLDC) shall operate as the State Nodal Agency (SNA) for grant of short-term green energy open access.

- iii. The STU shall submit detailed procedures covering, but not limited to, timelines, Bank Guarantee, fees, Rejection, Energy Accounting and Settlement and other matters incidental thereto, required for smooth operation of Green Energy Open Access, for the approval of the Commission [along with required formats for granting GEOA] within 30 days from the notification of these Regulations.
- iv. The SNA shall coordinate with transmission licensees Including STU and the Distribution Licensees to make available all relevant information regarding green energy open access to the public on the portal of the Central Nodal Agency.

7. Treatment for existing Consumers:

The existing consumer(s)/generators may continue to avail the RE under open access as per the existing agreements or government policy for the period specified in those agreements or policies.

Provided that the existing consumers/generators shall continue to pay the applicable charges as specified in their respective agreements or as may be determined by the Commission from time to time.

Provided further that Green Energy Open Access for the period subsequent to their respective agreements in respect of such consumer(s)/generator(s) shall be governed by provisions of these Regulations.

Provided also that if Open Access for any additional RE capacity is sought by such existing consumer(s)/generator(s) in addition to the capacity already contracted under open access, the same shall be treated as a new application for Green Energy Open Access to the extent of additional capacity sought.

Provided also that the existing consumers/generators shall be eligible to convert their existing RE based open access agreements under the Green Energy Open Access for the remaining validity of their existing agreements on a one-time basis and shall be governed by the provisions of these Regulations.

8. Allotment priority

- i. Distribution Licensees shall have highest priority.
- ii. GEOA consumers shall have preference over normal Open Access consumers within the same respective open access category.
- iii. Among the GEOA consumers, long-term GEOA consumers shall have preference followed by Medium term and subsequently short-term, at any given time, subject to availability of spare transmission/distribution system capacity margins.

Provided that, the decision for allowing the green energy open access shall be on the basis of first come first served.

9. Non-Utilization of open access service by Open Access Consumers

- i. In the event of inability of the short-term open access consumer to utilize for more than four hours, full or substantial part of the capacity allocated to him, such a short-term open access consumer shall inform the respective SLDC of his inability to utilise the capacity, along with reasons therefore and may surrender the use of capacity allocated to him. However, such short-term consumer shall bear full transmission and /or wheeling charges based on the original reserved capacity and the period for which such capacity was reserved.
- ii. A medium-term/long-term consumer shall not relinquish or transfer his rights and obligations specified in the open access agreement without prior approval of the state nodal agency.
- iii. The State Nodal Agency may cancel or reduce the capacity allocated to a short-term open access consumer to the extent it is underutilized, when such a short-term open access consumer under-utilizes the allocated capacity more than 4 times in a month with duration of underutilization exceeding 4 hours each time or fails to inform the distribution licensee of his inability to utilize the allocated capacity. Such cancellation shall be resorted to after giving due notice.
- iv. The surplus capacity available as a result of its surrender by the short-term open access consumer under clause (i) above or reduction or cancellation of capacity by the SLDC under clause (iii) above, may be allocated to any other short-term open access consumer in the order of pending applications based on the point of injection and drawl.
- v. The relinquishment or transfer of such rights and obligations by a long-term/medium term entity shall be subject to payment of compensation, as provided below:
 - (1) A long term green energy open access entity who has availed open access rights for at least 12 years may relinquish the long term open access rights fully or partly before the expiry of the full term of long term open access, by making payment of compensation for stranded capacity as under:
 - (a) If a long term green energy open access entity submits an application to the Nodal Agency at least 1 (one) year prior to the date from which such customer desires to relinquish the open access rights, he shall be liable to pay no charges;
 - (b) If a long term green energy open access entity submits an application to the Nodal Agency at any time lesser than a period of 1 (one) year prior to the date from which such customer desires to relinquish the open access rights, such customer shall pay an amount equal to 66% of the transmission and wheeling charges, as applicable on the date on which the application for relinquishment of the open access right is made, for the stranded

transmission and/ or distribution capacity for the period falling short of a notice period of one (1) year.

- (2) A long term green energy open access entity, who has not availed open access rights for at least 12 (twelve) years, shall pay an amount equal to 66% of the transmission and wheeling charges, as applicable on the date on which the application for relinquishment of the open access right is made, for the stranded transmission and/or distribution capacity for the period falling short of 12 (twelve) years of open access rights subject to a maximum period of three years.

Provided that such an open access entity shall submit an application to the Nodal Agency at least 1 (one) year prior to the date from which such customer desires to relinquish the open access rights.

Provided further that in case such an open access entity submits an application for relinquishment of long term open access rights at any time at a notice period of less than one year, then such open access entity shall pay an amount equal to 66% of the transmission and wheeling charges, as applicable on the date from which the open access right is relinquished, for the period falling short of a notice period of one (1) year, in addition to 66% of the transmission and wheeling charges, as applicable on the date on which the application for relinquishment of the open access right is made, for the stranded transmission and/or distribution capacity for the period falling short of 12 (twelve) years of open access rights subject to a maximum period of three years.

- (3) A medium term green energy open access entity may relinquish open access rights, fully or partly, by giving at least 30 days prior notice to the Nodal Agency and such medium term open access entity shall pay applicable transmission and wheeling charges for the period of relinquishment or 30 days whichever is less.
- (4) No refund shall be made by the Distribution/ Transmission Licensee to an open access customer who has created the system at his own cost for availing open access irrespective of whether he avails the open access for full term or partly.

10. Energy Accounting :

i. Inter-state transactions:

In case of Green Energy Open Access carried out under inter-state transaction, energy accounting shall be as per the CERC Regulations.

Notwithstanding anything contrary contained in any other Regulations time being in force, if the generator situated in the State of Rajasthan and connected with the State grid and selling power outside the State the energy accounting for deviation settlement be carried out, wherein the deviation charge shall be either (A) Contract Rate or (B) Normal Rate of Charges for deviation, whichever is higher.

Explanation: Contract Rate and Normal Rate of Charges for deviation shall have the meaning as defined in the CERC DSM Regulations from time to time.

ii. Intra-state transactions:

Long Term Open Access/Medium-Term Open Access/Short-Term Open Access:

The deviation charges shall be payable by the generator as per the RERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement and Related Matters of Solar and Wind Generation Sources) Regulations, 2017 as amended from time to time.

Provided that the Green Energy Generator (RE generator) other than Solar, Wind and Wind-Solar Hybrid generator which were commissioned under the respective RE tariff orders passed by the Commission from time to time and in operation shall be governed by the provisions of relevant orders of the Commission.

Provided further that mechanism for energy settlement shall be provided in the procedure to be approved by the Commission.

11. Charges for Green Energy Open Access :

The charges payable by the Green Energy Open Access consumers shall be as follows: -

- i. Transmission Charges
- ii. Wheeling Charges
- iii. Cross subsidy surcharges
- iv. Additional surcharge
- v. Banking Charges
- vi. Standby charges, wherever applicable
- vii. Reactive Energy Charges.
- viii. Other fees and charges such as SLDC fees and scheduling charges, deviation settlement (DSM) charges as per the relevant Regulations or orders of the Commission.
- ix. Any other charges as may be decided by the Commission from time to time

11.1 Transmission Charges

Green Energy Open Access Consumer using transmission system shall pay the charges as stated hereunder:

11.1.1 For use of inter-State transmission system:

As specified by the Central Commission from time to time.

11.1.2 For use of intra-State transmission system:

The Transmission Charges for Long-Term, Medium-Term and Short-Term open access shall be determined by the Commission as per the prevailing provisions of the RERC Tariff Regulations from time to time. The applicable rate of Transmission Charge payable by Green Energy Open Access Consumer shall be specified by the Commission in its Tariff Order subject to provisions of RERC (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2020 as amended from time to time.

11.2 Wheeling Charges

Wheeling charges payable to distribution licensee, by the Green Energy Open Access Consumer for usage of its system shall be as determined by the Commission in the tariff order from time to time subject to provisions of RERC

(Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2020 as amended from time to time.

- 11.3 For the use of both EHV and the distribution network, both transmission and wheeling charges as well as losses as applicable shall be payable.

Provided that, the Transmission & wheeling charges for the Co-located Wind-Solar hybrid power plants shall be levied as follows:

- a. For the existing as well as the new hybrid power plants, the transmission charges shall be levied on the transmission capacity contracted.

Provided also that for non-co-located (two separate points of injections) projects, the charges shall be paid for solar and wind projects separately corresponding to the transmission capacity contracted of solar and wind projects respectively.

Provided also that in case of wind solar hybrid projects, the generation should not exceed the contracted capacity. Notwithstanding the above, the SLDC may curtail the additional injection keeping in view the security/reliability of the grid operation. The energy injected in excess of the above limit shall be the inadvertent injection and shall neither be paid for nor settled by the distribution licensee.

Provided also that the Transmission & Wheeling charges shall be exempted on supply of power from BESS during peak hours or non-solar hours for a capacity of 2000 MW capacity or capacity installed by 2030 whichever is earlier for the followings:

- (i) RE Integrated Storage project with a capacity of 5% of RE capacity will be eligible for exemption of 75% on Transmission and Wheeling charges for a period of seven (7) years. For BESS beyond 5% of RE capacity will be eligible for extra exemption of additional 1% Transmission and Wheeling charges on enhancement of each 1% capacity of storage system up to 30% capacity. For BESS beyond 30% of RE capacity, will be exempted from 100% Transmission & Wheeling charges.
- (ii) Standalone Battery Energy Storage System (BESS) will be exempted 100% transmission and wheeling charge on supply of power from BESS during peak hours or non-solar hours for a period of seven (7) years.
- (iii) BESS connected at 11 kV or 33 kV grid sub-stations will be exempted from 100% transmission and wheeling charges.

Provided that 50% waiver of intra-state transmission & wheeling charges will be applicable for the power produced from solar/wind plants (with/without storage) to be established for the Green

Hydrogen/Ammonia plants to be set up by 2030. The transmission & wheeling losses shall be applicable as determined by the Commission.

11.4 Cross Subsidy Surcharge

- a. The Green Energy Open Access facility availed by a consumer shall be required to pay cross subsidy surcharge as provided in relevant Tariff Order issued by the Commission from time to time, in addition to transmission and/or wheeling charges. Cross subsidy surcharge determined by the Commission on Per Unit basis shall be payable, on billing cycle basis, by the open access customers based on the actual energy consumed during the billing period through open access. The amount of surcharge shall be paid to the distribution licensee in whose area of supply such consumer is situated.

Provided that such cross-subsidy surcharge shall not be levied in case green energy openaccess is provided to a person who has established a captive generation plant for carrying the electricity to the destination of his own use.

Provided further that the Commission may not increase cross-subsidy surcharge for Green Energy Open Access Consumer purchasing green energy, from a generating plant using green energy (renewable energy) sources, during twelve years from the date of operating of the generating plant using renewable energy sources, by more than fifty percent of the surcharge fixed for the year in which open access is granted;

Provided also that Cross Subsidy Surcharge shall not be applicable in case power produced from a non-fossil fuel-based Municipal Solid Waste-to-Energy plant is supplied to the Open Access Consumer;

Provided also that Cross-Subsidy Surcharge shall not be applicable if green energy drawn from wind/solar energy plant (s) (with or without storage facilities) through green energy open access is utilized for production of green hydrogen and green ammonia.

- b. Cross-Subsidy Surcharge shall not exceed 20% of the Average Cost of supply.
- c. The Cross Subsidy Surcharge payable by a consumer shall be such so as to meet the current level of cross subsidy within the area of supply of the distribution licensee.

11.5 Additional Surcharge

The Additional Surcharge shall not be applicable to the Green Energy Open Access consumer for the quantum of Green Energy Open Access availed if the fixed charge is being paid by such Green Energy Open Access consumer to the distribution licensee for the quantum of Green Energy Open Access availed up to contract demand / sanctioned load with the licensee.

Provided that the additional surcharge may remain leviable till there is a gap in recovery of fixed charge and the fixed cost incurred by the licensee. However, the Additional surcharge shall not be more than the per unit fixed cost of power purchase of the distribution licensee concerned.

Provided further that in case the quantum of Green Energy Open Access availed by the Green Energy Open Access consumer is more than the contracted demand / sanctioned load with the licensee and no fixed charge or demand charge is being paid or payable for additional quantum, in that case the Additional Surcharge determined by the Commission from time to time as per the Orders of the Commission shall be applicable for such additional quantum availed over the contracted demand / sanctioned load.

Provided also that such additional surcharges shall not be levied in case green energy open access is provided to a person who has established a Captive Generation Plant for carrying the electricity to the destination of his own use.

Provided also that Additional Surcharge shall not be applicable in case power produced from a Municipal Solid Waste-to-Energy plant is supplied to the Green Open Access Consumer.

Provided also that additional surcharge shall not be applicable in case electricity produced from offshore wind projects, which are commissioned up to December, 2032 and supplied to the Open Access Consumers.

Provided also that Additional Surcharge shall not be applicable if green energy is utilized for production of green hydrogen and green ammonia.

- 11.6** The incentives/rebates provided under the RERC (Terms and Conditions for Tariff Determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2020, including any amendments thereto, in respect of transmission charges, wheeling charges, cross-subsidy surcharge, and additional surcharge, shall continue to apply for the control period of the said Regulations unless otherwise specified in these Regulations.

11.7 Standby charges for drawl of power by Green Energy Open Access consumer from distribution licensee :

In case the green energy open access consumer is unable to procure/schedule power from the generating sources with whom they have the agreements to procure power due to outages of generator, transmission systems and the like, standby arrangement shall be provided to Green Energy Open Access consumer by the distribution licensee of the area and the licensee shall be entitled to collect Standby charges as specified by the Commission.

Provided that the applicable standby charges shall be Twenty-Five per cent of the energy charges applicable to consumer tariff category.

Provided further that the standby charges shall be in addition to the applicable tariff on standby energy supplied by the Distribution Licensee to the Green Energy Open Access Consumer.

Provided also that the standby charges shall not be applicable, if the green energy open access consumer has given notice, in advance, at least a day in advance before closure time of Day Ahead Market (DAM) on “D – (minus) 1” day, ‘D’ being the day of delivery of power for standby arrangement to the distribution licensee.

Provided also that Green Energy Open Access consumers would have the option to arrange standby power from any other source.

11.8 Banking :

A. Banking for RE power plants of capacity upto 100% of Contract Demand:

- i. The terms and conditions of Banking specified in these Regulations shall be applicable for both existing Renewable Energy based plants and new Renewable Energy based plants during the application of control period of these Regulations.
- ii. For availing the banking facility, the Renewable Energy based captive power plant shall install ABT compliant Special Energy Meters (SEMs), capable of energy accounting for each block of 15 minutes.
- iii. Banking of Energy subject to a maximum ceiling of 25 % of the energy injected by Renewable Energy Captive Generating Station during the month or 30% of the total monthly consumption of electricity from the distribution licensee by the consumer, whichever is higher, at consumption end shall be allowed only for captive consumption within the State:

Provided that no banking facility shall be allowed for Renewable Energy plants supplying power to third party under open access and for the Renewable Energy plant installed behind the meter:

Provided further that for availing Banking Facility, Renewable Energy Captive Generating Station shall enter into Wheeling and Banking Agreement with Distribution Licensee.

Provided also that the banking shall be allowed on annual basis.

Provided also that the banking as well as withdrawal of banked energy shall be subject to scheduling as required.

Provided also that in a month the energy injected after accounting for losses shall be set off against the energy drawn from the Discom in the same month except excess energy drawn during the peak hours in the month declared by Distribution Licensee from time to time. The excess energy, if any, shall be carried forward to next month subject to limits specified above, after adjusting the banking charges
Provided also that the Commission through a separate order may allow banking on the basis of Time of Day tariff slots.

Illustration for plants of capacity upto 100% of Contract Demand:

If in any month, 1000 units of energy have been injected after accounting for losses and the total monthly consumption of electricity from the Distribution licensee by the consumer is 900 units out of which excess units consumed in peak hours are 100. Then excess injected energy to be considered for the particular month shall be 200 units (1000-(900-100)) and the same shall be carried forwarded to next month as it is within the banking energy limit (higher of the 25% of 1000 units or 30% of 900 units). The banked energy considered for next month will be $200 \times (1-8\%) = 184$ units. The Discom will raise the bill for excess 100 units of energy consumed during peak hours as per applicable tariff.

Explanation: The excess energy drawn during the peak hours in a month = (Total energy drawn during the peak hours in the month minus (-) Total energy injected during the peak hours in the month).

If during the next month, 1000 units of energy have been injected after accounting for losses and the total monthly consumption of the electricity from the Discom by the consumer is 750 units out of which excess units consumed in peak hours are 100, the excess energy injected to be considered for that particular month shall be 350 units (1000-(750-100)). Out of excess energy of 350 units, only 250 units (higher of the 25% of 1000 unit or 30% of 750) shall be banked and carried forwarded to next month, remaining 100 units (350-250) shall lapse. Accordingly, $230 (250 \times (1-8\%)) + 184$ (Banked during previous month) equal to 414 units shall be carried forward to the next month. The Discom will raise the bill for excess 100 units of energy consumed during peak hours as per the applicable tariff.

If during the next month, 1000 units of energy have been injected after accounting for losses and the monthly consumption of the electricity from the Discom by the consumer is 1500 units out of which excess units consumed in peak hours are 200 units then the energy consumed during off peak hours in that particular month shall be $(1000-(1500-200)) = -300$ units. In this case the above excess drawn 300 units will be adjusted against previously banked 414 units and balance 114 units will be carried forward to the next month. The Discom will raise the bill for excess 200 units consumed during the peak hours as per the applicable tariff.

- iv. Unutilized banked energy at the end of financial year shall lapse and the renewable energy captive generating plant shall be entitled to get Renewable Energy Certificates to the extent of the lapsed banked energy in accordance with rules/regulations framed by the MoP/CERC.
- v. Banking charges at the rate of 8% of banked energy would be payable in kind and shall be adjusted against the banked energy before withdrawal, or any such other rate or in monetary terms or their combination thereof, as may be specified by the Commission through a separate order.

Illustration: If 100 Units of energy have been banked at the consumption end after accounting for losses, the Captive consumer will be able to draw 92 units of banked energy and 8 units will be deducted as banking charges.

- vi. The above provisions related to banking shall be applicable to all existing projects, as well as to new projects commissioned after the commencement of these Regulations, and shall remain in force until 31.03.2030 or any other date as may be separately appointed by the Commission through an order. .

B. Banking for RE power plants of capacity from 100% to 200% of Contract Demand:

- i. The terms and conditions of Banking specified in these Regulations shall be applicable for both existing Renewable Energy based plants and new Renewable Energy based plants during the application of control period of these Regulations.
- ii. For availing the banking facility, the Renewable Energy based captive power plant shall install ABT compliant Special Energy Meters (SEMs), capable of energy accounting for each block of 15 minutes.
- iii. Banking of Energy subject to a maximum ceiling of 30% of the total monthly consumption of electricity from the distribution licensee by the consumer at consumption end shall be allowed only for captive consumption within the State:

Provided that no banking facility shall be allowed for Renewable Energy plants supplying power to third party under open access and for the Renewable Energy plant installed behind the meter:

Provided also that for availing Banking Facility, Renewable Energy Captive Generating Station shall enter into Wheeling and Banking Agreement with Distribution Licensee.

Provided also that the banking shall be allowed on billing cycle basis.

Provided also that the banking as well as withdrawal of banked energy shall be subject to scheduling as required.

Provided also that in a billing cycle the energy injected after accounting for losses shall be set off against the energy drawn from the Discom in the same billing cycle. The credit of banked energy shall not be permitted to be carried forward to subsequent billing cycle and shall be adjusted during the same billing cycle.

Provided also that in a month the energy injected after accounting for losses shall be set off against the energy drawn from the Discom in the same month except excess energy drawn during the peak hours in the month declared by Distribution Licensee from time to time.

Provided also that the Commission through a separate order may allow banking on the basis of Time of Day tariff slots.

- iv. Unutilized banked energy at the end of billing cycle shall lapse and the renewable energy captive generating plant shall be entitled to get Renewable Energy Certificates to the extent of the lapsed banked energy in accordance with rules/regulations framed by the MoP/CERC.

- v. Banking charges at the rate of 8% of banked energy would be payable in kind and shall be adjusted against the banked energy before withdrawal, or any such other rate or in monetary terms or their combination thereof, as may be specified by the Commission through a separate order.

C. Banking for RE projects established for Green Hydrogen/Green Ammonia generation plants:

The terms and conditions of banking for RE plants (with or without storage) set up for Green Hydrogen/Ammonia generation plant shall be applicable as per the provisions of the State Govt. Policy.

12. Curtailment Priority

In case due to transmission/distribution system constraints or otherwise, it is necessary to curtail the service of GEOA consumer, the following priority shall be followed.

- a. The short-term open access consumer (other than GEOA consumer) shall be curtailed first followed by short-term GEOA consumers.
- b. Next, medium-term OA consumer (other than GEOA consumer) followed by medium-term GEOA consumer shall be curtailed.
- c. Next long-term OA consumer (other than GEOA consumer) followed by long-term GEOA consumer shall be curtailed.

Provided that within a category, the GEOA consumers shall have equal curtailment priority and shall be curtailed on pro-rata basis.

Provided further that distribution licensees shall be curtailed as last resort.

13. Metering

- i. Green Energy Open Access consumer shall have to install ABT compliant Special Energy Meters (SMEs) or such other meters, capable of energy accounting for each block of 15 minutes, at the generator end, interface points, consumption place which shall conform to the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time.
- ii. The metering point as well as the interconnection point for grid connectivity shall be the nearest transmission/distribution licensee sub-station.
- iii. Above Meters shall always be maintained in good condition and shall be open for inspection by any person authorized by the State Transmission Utility, Distribution Licensee or the State Load Despatch Centre.
- iv. The green energy open access entity shall get his meters tested periodically as specified in Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time after depositing necessary testing fee with the concerned Distribution Licensee.

- v. The Meters shall be tested, calibrated & sealed by Distribution Licensee in the presence of the other party involved and representative of concerned Transmission Licensee/STU if meter is installed at their grid substation. Any defective meter shall be replaced within 30 days, failing which the entity shall be disallowed open access.
- vi. All the Green Energy Open Access entity shall abide by the metering standards of CEA.

14. Reactive Energy Charges

In respect of green energy generator/consumer, the Reactive power management including pricing shall be in accordance with Regulations /order(s) passed by the Commission from time to time.

15. Energy losses

Energy losses of the transmission and distribution system shall be applicable to the GEOA consumers as specified by the Commission from time to time.

16. Application Fee, Payment Security and Other Commercial Conditions

(1) For Long Term & Medium Term Green Energy Open Access

- (a) A long term and Medium term green energy open access entity shall file an application in the manner and format as prescribed in the detailed procedure.
- (b) An entity intending to avail green energy open access shall also submit a copy of his application to the Distribution Licensee(s) of his area of supply.
- (c) The application shall be accompanied by a non-refundable fee of Rs 1,00,000 (Rs. One Lac only) for long-term and Rs. 20,000 (Rs. Twenty Thousand Only) for medium term green energy open access in the name and manner laid down in the detailed procedure.
- (d) The application shall be accompanied by a bank guarantee corresponding to Rs 10,000/MW (Rs. Ten Thousand per MW) of the total power to be transmitted for long term open access in addition to the specified application fee in the manner laid down in the detailed procedure. The bank guarantee shall be kept valid and subsisting till commencement of long term open access.
- (e) As a payment security towards transmission charges, open access customer shall deposit an amount equal to 3 months of the transmission charges for allotted open access capacity with the State Transmission Utility;
- (f) As a payment security towards SLDC charges, open access customer shall deposit an amount equal to 3 months of the SLDC fee and charges including scheduling and operating charges for allotted open access capacity with the State Load Dispatch Centre;

- (g) As a payment security towards wheeling charges, cross subsidy surcharge and additional surcharge, a deposit equal to 3 months of billing for these charges for allotted open access capacity shall be maintained with the Distribution Licensee of the area of supply;

Provided that unity power factor shall be considered for the purpose of unit conversion from MVA/kVA to MW/kW or vice versa.

Provided further that, in case of an existing open access customer availing open access for more than a financial year, security shall be revised on the basis of average monthly open access charges of the previous financial year.

Provided also that, the IPPs/ CPPs selling power outside the State, shall also deposit a security towards under injection, if any, with the Distribution Licensee, equivalent to 10% of the proposed monthly contracted generation for sale, at the energy charge rate of HT Industrial tariff, the amount of which shall be recalculated after the actual sale of the previous quarter of the financial year.

- (h) Such security may be in the form of cash deposit/ demand draft.

(2) For Short Term Open Access

- (a) A short term green energy open access entity shall file an application in the manner and format as prescribed in the detailed procedure.
- (b) An entity intending to avail short term intra-state green energy open access shall also submit a copy of his application to the Transmission and Distribution Licensee(s) of his area of supply.
- (c) The application shall be accompanied by a non-refundable fee of Rs 5,000 (Rs. Five Thousand only) for short term green energy open access in the name and manner laid down in the detailed procedure.
- (d) A green energy open access entity shall pay the transmission charges, SLDC charges, wheeling charges, surcharge, additional surcharge, and such other charges as applicable, in advance for the period for which the open access has been granted.
- (e) The other terms and conditions including the commercial conditions for transmission charges, wheeling charges and scheduling & system operation charges, such as, terms of payment, creditworthiness, indemnification, and force majeure conditions etc., shall be as provided in the detailed procedure.

17. Compliance of Grid Code/Supply Code

GEOA consumers shall abide by the State Grid Code, Supply Code and all other Codes and Standards, DSM Regulations as applicable from time to time.

18. Collection and Disbursement of charges

- (1) The transmission charges and wheeling charges in respect of open access customers shall be payable by the open access customer directly to respective licensees.
- (2) The SLDC fee and charges including scheduling and operating charges in respect of open access customers shall be paid to the State Load Despatch Centre.
- (3) The Unscheduled Interchange/DSM charges shall be paid in the manner as directed by the State Load Despatch Centre.
- (4) The cross subsidy surcharge, additional surcharge or any other charges pertaining to the Distribution Licensee shall be paid by the open access consumer directly to the Distribution Licensee in whose area of supply he is located.
- (5) In case fee, or any other charges, are specified on monthly basis, these charges shall be worked out on pro-rata daily basis for transactions for part of a month.
- (6) The supplier end Distribution Licensee, that is, the Distribution Licensee in whose area of supply point of injection of open access supply is situated, shall convey (or download) the time block wise meter readings taken at an appointed time to the SLDC, RVPN, supplier and consumer end Distribution Licensee(s).
- (7) The consumer end Distribution Licensee, that is the Distribution Licensee in whose area of supply an open access consumer is situated, shall convey (or down load) the time block wise meter readings taken at an appointed time to SLDC, consumer, RVPN & supplier.
- (8) The consumer end Distribution Licensees shall prepare the provisional energy account based on the injection schedule, drawal schedule, and meter readings and contract demands for HT power and standby & start up supply and serve monthly bills. The provisional bill shall be served in the first week of the month. A copy of the provisional energy account shall also be supplied to SLDC. UI/deviation shall have to be considered and prepared by Distribution Licensee provisionally and conveyed to the SLDC. SLDC shall issue the final UI/deviation charge account.

19. InformationSystem:

- i. SLDC shall post the following information in a separate web page titled "Green Energy Open Access Information" and also issue a monthly and annual report containing such information;
 - a. A status report on long -term/medium-term/short term consumers covering points of injection and drawal period of the access granted (start date and end date) and open access capacity used.
 - b. Floor rate for bidding in case of congestion
 - c. Peak load flows and capacity available on EHV and HV lines
 - d. Information regarding average loss in the transmission system and distribution system as approved by the Commissions on a monthly basis.
 - e. List of pending applications, their status and reasons for rejections.
- ii. The information shall be updated upon every change in status.
- iii. All previous report shall be available in the web-archives.

- iv. The SLDC shall post the above information on its website within one month from the date of notification of these Regulations.

20. Reports

The State Nodal Agency shall publish a report on a monthly basis on its official website, consisting of the information in the following format:

S. No.	Name and address of the GEOA/ wheeling consumer	Point of Injection	Point of drawl	Capacity allowed (MW)	Period of open access allowed	Actual annual utilization of energy in MU

21. Communication facility

Green Energy Open Access consumer shall have the requisite communication systems in place to facilitate seamless communication of data/orders/ information to/from the generator place to State Nodal Agency (SLDC) and from consumer place to distribution licensees on real time basis.

22. Green Energy Tariff

- Any consumer may elect to purchase green energy either up to a certain percentage of the consumption or its entire consumption and they may place a requisition for this with their distribution licensee, which shall procure such quantity of green energy and supply it and the consumer shall have the flexibility to give separate requisition for solar and non-solar;
- The consumer may purchase on a voluntary basis, more renewable energy, than he is obligated to do and for ease of implementation, this may be in steps of Twenty-five per cent and going up to Hundred per cent;
- The tariff for the green energy shall be determined separately by the Commission through a separate order, considering various cost components of the Distribution Licensee;
- Any requisition for green energy from a distribution licensee shall be for a minimum period of one year;
- The quantum of green energy shall be pre-specified for at least one year;
- The green energy purchased from distribution licensee or from Renewable Energy sources other than distribution licensee in excess of Renewable Purchase Obligation of obligated entity shall be counted towards Renewable Purchase Obligation compliance of the distribution licensee;
- The Accounting of renewable energy supplied at distribution licensee level shall be on a monthly basis.

23. Green certificate

The distribution licensee shall give green certificate on yearly basis to the consumers for the green energy supplied by the licensee to consumer on his request beyond the renewable purchase obligation of the consumers.

24. Rating

The Commission may introduce the concept of rating for the consumer of the distribution licensee, based on the percentage of green energy purchased by such consumer.

25. Dispute Resolution:

(i) No application for open access shall be denied unless the applicant has been given an opportunity of being heard in the matter.

(ii) All disputes and complaints relating to GEOA shall be made to the SLDC, which may investigate and endeavor to resolve the grievance.

(iii) If the SLDC is unable to redress the grievance, the same shall be referred to the State Power Committee constituted under the State Grid Code which shall endeavor to resolve the grievance within 30 days and

(iv) Where State Power Committee is unable to resolve the grievance, it shall be referred to the Commission and Commission's decision in this regard shall be final and binding.

26. Issue of orders and practice directions

Subject to the provision of the Electricity Act, 2003 and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions with regard to the implementation of the Regulations and procedures to be followed.

27. Power to remove difficulties:

In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may by general or special order, direct the GEOA consumers, generators, SNA and the licensees to take suitable action, not being inconsistent with the provisions of Electricity Act, 2003, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

The GEOA consumers/generator/licensees/SNA may make an application to the Commission and seek suitable orders to remove any difficulties that may arise in implementation of these Regulations.

28. Power to amend:

The Commission may from time to time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations after following the necessary procedures.

29. Power to Relax:

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of these Regulations suo-motu or on an application made before it by an interested person.

30. Interpretation:

The decision of the Commission regarding the interpretation of these Regulations shall be final and binding.

31. Saving clause:

The provisions of the RERC (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations 2020 and RERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2016 which are not inconsistent with provisions under these Regulations or not covered under these Regulations or Procedure made hereunder shall be also applicable *mutatis mutandis* as part of these Regulations.

By Order of the Commission

Babu Lal Goyal, IAS
Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।